साप्ताहिक

नीमच हेडलाइन्स

ISO 9001:2015 CERTIFIED

"सच्चा ज्ञान वही है जो आपको विनम्र और दयालु बनाए अहंकारी नहीं।"

डाक पंजीयन क्रमांक मंदसौर 407/2025-27

पंजीयन क्रमांक- MPHIN/2018/76962

अंचल का तेज़ी से बढ़ता न्यूज़ नेटवर्क...

NEEMUCH HEADLINES

ख़बर वही, जो हम दिखाते है...

संस्थापक- स्व.इंद्रदेव जी जाजपुरा

प्रधान सम्पादक - अविनाश जाजपुरा

साप्ताहिक समाचार पत्र,एप, वेब पोर्टल और न्यूज़ चैनल

वर्ष - 08 | अंक- 22 | नीमच, बुधवार 19 से 25 नवम्बर 2025 तक | कुल पृष्ठ - 08 | मूल्य - 5 रू

काईद जौहर ओर अभिषेक की बढ़ी मुश्किले साथ देने वाले अन्य लोग भी बनेंगे आरोपी

अवैध कॉलोनी के मामले में प्रशासन हुआ सख्त

जावद ओर मनासा में अधिकारियों ने भूमाफियाओं पर नकेल कसने की कर दी तैयारी

अविनाश जाजपुरा नीमच।

पिछले दिनों नीमच हेडलाइंस ने जावद में भूमाफियाओं द्वारा दिव्यांग की जमीन पर अवैध रूप से कॉलोनी काटने के एक मामले को प्रमुखता से प्रकाशित किया था वही एक अन्य मामला मनासा का था जहाँ भूमाफिया काईद जोहर बोहरा का था, जिसने भी सर्वे नंबर 382/2 टाल वाला खेत पर प्रशासन और आम जनता को गुमराह करते हुए कॉलोनी काटी, यहां तक की काईद जौहर ने किसी प्रकार की कॉलोनी काटने की परमिशन नहीं ली थी और बिना रोड बनाये, नगर परिषद से बिना अनुमति यहां तक कि TNC से भी कोई परमिशन नही लेकर लगभग 2 दर्जन से ज्यादा रजिस्ट्रियां करवा दी थी। इन दोनों मामलों को जनहित में गंभीरता से प्रकाशित करने के पश्चात नीमच जिला कलेक्टर द्वारा दोनों मामलों में निष्पक्ष जांच के निर्देश जारी किए गए जिसमें जावद अनुविभागीय अधिकारी विरुद्ध खेत मालिक कैलाश साहू पुष्कर साहू सहित अवैध कालोनी काटने वाले अभिषेक भारद्वाज को दिनांक 10 नवम्बर 2025 को एक कारण बताओं नोटिस जारी किया गया जिसमें स्पष्ट रूप से आदेशित किया गया कि जावद कस्बा के सर्वे नंबर 1891/3/1/1/1/1/1/1 रकबा 0.608 पर बिना कॉलोनी विकास अनुमति के प्लाट काटकर अवैध रूप से विक्रय करने पर क्यो ना आपके विरुद्ध मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 39 ग एवं मध्य प्रदेश नगरपालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जाए। हालांकि इस मामले में उक्त तीनों व्यक्तियों को दिनांक 24 नवंबर 2025 को दोपहर 3:30 पर पेशी में उपस्थित होने के आदेश किये गए है। ठीक इसी प्रकार मनासा के बहुचर्चित काईद जौहर बोहरा द्वारा प्रशासन के नियमो को ताक में रखते हुए अवैध रूप से प्लाट काटकर बेच दिए मजे की बात यह है कि काईद जौहर को ना प्रशासन का डर है और ना ही आम जनता से धोखधड़ी का भय। ऐसे में एक बात सोचने वाली है कि आखिर इन जैसे लोगो की ढाल कौन है जिनके दम पर ऐसे भूमाफिया उचकते है। और आमजनता सहित प्रशासन को कुछ भी नही समझते। वही दबी जुबान में कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ऐसे भू माफिया अन्य लोगों को बड़े जोर-शोर से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने का दावा करते हैं परंतु प्रशासन का डंडा चलने पर यह बात साफ हो जाती है कि इन जैसे लोगों को कोई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नहीं होता। बल्कि इनके झूठ का पर्दा भी आम जनता के सामने बेनकाब हो जाता है।

नीमच हेडलाइंस खबर का असर

क्या है मामला :

आपको बता दे कि शिकायतकर्ता बुरहानुद्दीन बोहरा ने जनसुनवाई में मनासा के झालावाड़ नीमच रोड स्थित टाल वाला खेत पर 382/2 अवैध रूप से बिना परमिशन के कॉलोनी काटने के मामले की एक लिखित शिकायत की थी जहा भूमाफिया काईद जोहर बोहरा ने नगर परिषद मनासा से भी किसी प्रकार की कोई परमिशन नही ली और अनुविभागीय अधिकारी मानसा द्वारा दो बार पत्र जारी करने के पश्चात भी उक्त माफिया ने किसी प्रकार का कोई जवाब देना उचित नहीं समझा।

प्रशासन ने शुरू की जांच :-

मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुविभागीय अधिकारी मनासा ने तहसीलदार मनासा से प्रतिवेदन मांगा जिसमे दिनांक 12 नवम्बर 2025 को तहसीलदार मनासा ने एसडीएम को अपना प्रतिवेदन दिया जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि शासन के नियमों का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से कॉलोनी काटने के मामले में शिकायत के पश्चात मौजा पटवारी द्वारा काईद जोहर पिता अब्बास अली बोहरा के नाम सर्वे नंबर 382/2 पेकि रकबा 1.526 एवं 383/2 पेकि रकबा 0.077 एवं 435 रकबा 1.132 स्थित भूमि पर नगर एवं ग्राम निवेश से विकास की अनुमति लिए बिना कालोनी काटकर प्लाट बेचे गए।

उक्त मामले में जांच करने के पश्चात मौजा पटवारी रिपोर्ट अनुसार उपरोक्त सभी क्रेताओ को विक्रेता काईद जौहर पिता अब्बास अली बोहरा द्वारा भूमि विक्रय की गयी। उक्त भूमि शहर के बीच में स्थित है मौके पर किसी प्रकार की कोई जल निकासी की व्यवस्था नहीं है और.. ना ही कोई विद्युत की व्यवस्था और ना ही कोई सडक की व्यवस्था है फिर भी विक्रेता द्वारा छोटे-छोटे भूखंड काटकर केताओ को रजिस्ट्री करवा दी गई है जो कि अवैध कालोनी की श्रेणी मे आत्ता है। उक्त भूमि का कोई डायवर्सन नही करवाया गया है और नाही किसी प्रकार की कोई शासन / नगरपालिका से अनुमति प्राप्त की गई मौके पर किसी प्रकार का गार्डन व अन्य मलभूत सुविधाए जो कालोनी के लिए आवश्यक होती है उनकी कोई व्यवस्था मौके पर नही है जिससे निकट भविष्य में व्यवहारिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उक्त प्रतिवेदन के पश्चात एक बात तो साफ हो गयी कि नीमच जिले में ऐसी कई जगह है जहां पर अवैध कॉलोनीया विकसित की जा रही है, परंतु जब तक उनकी शिकायत नहीं की जाए प्रशासन भी ऐसे मामलों में दखलंदाजी नहीं करते। लेकिन जब शिकायत होती है तो प्रशासन ऐसे मामलों में सख्त कार्यवाही भी करते हैं। अब देखना यह है कि उक्त दोनों मामलो में अनुविभागीय अधिकारी मनासा एवं अनुविभागी अधिकारी जावद दोनों जिला कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार किस प्रकार से कड़ी कार्यवाही करते है। जिससे भविष्य में कोई अन्य भूमाफिया इस प्रकार कूट रचना करते हुए आम जनता और प्रशासन के साथ धोखाधड़ी न कर सके।

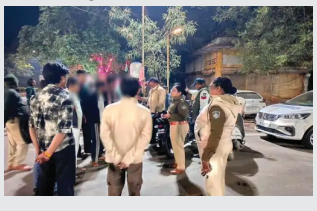

नीमच में तेज रफ्तार में बाइक चलाते 10 किशोर पकड़े, परिजनों को थाने में लगाई फटकार

नीमच। शहर में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने और नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर रोक लगाने की दिशा में यातायात पुलिस ने एक सख्त और प्रभावी अभियान चलाया। सोमवार रात सीआरपीएफ रोड पर की गई विशेष चेकिंग के दौरान पुलिस ने तेज रफ्तार में वाहन चलाते हुए 10 नाबालिग चालकों को पकड़ा। इन सभी किशोरों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई। नाबालिगों को थाने लाए जाने के बाद उनके परिजनों को तत्काल बुलाया गया, जहां पुलिस अधिकारियों ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई और चेतावनी दी कि वे अपने बच्चों को बालिग होने तक किसी भी परिस्थिति में वाहन न चलाने दें। यह कार्रवाई यातायात प्रभारी सोनू बड़गुर्जर के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा थी। शहर के व्यस्त सतगुरु बेकरी क्षेत्र के पास एक विशेष चेकिंग पॉइंट बनाया गया था, जहां पुलिस टीम लगातार वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान कई किशोर तेज गति से बाइक चलाते हुए पकड़े गए। पुलिस के अनुसार, नाबालिगों द्वारा तेज रफ्तार में वाहन चलाना न सिर्फ उनके खुद के लिए, बल्कि शहर के अन्य लोगों के लिए भी बड़ा खतरा बनता जा रहा है। ऐसे में यह अभियान आवश्यक था ताकि समय रहते इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सके। थाने बुलाए गए परिजनों को पुलिस ने स्पष्ट रूप से समझाया कि नाबालिग द्वारा वाहन चलाना कानूनन अपराध है, और यदि वे अपने बच्चों को रोकने में विफल रहते हैं, तो भविष्य में उनके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई केवल दंडात्मक नहीं, बल्कि जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से भी की गई है। कई परिजनों ने पुलिस को आश्वासन दिया कि वे अपने बच्चों को अब सड़क पर वाहन नहीं चलाने देंगे।

विश्व देखेगा सिंहस्थ का वैभव, किसानों के सम्मान में लैंड पूलिंग निरस्त : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

सिंहस्थ पर सरकार का बड़ा निर्णय - लैंड पुलिंग को निरस्त कर किसानों की भावना का किया सम्मान

नीमच। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर किसान संघ, भाजपा पदाधिकारी, उज्जैन के जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन उज्जैन के साथ बैठक कर सिंहस्थ के आयोजन को लेकर समग्र रूप से चर्चा की। बैठक में सिंहस्थ का आयोजन दिव्य, भव्य और विश्व स्तरीय करने के लिये हर संभव प्रयास करने पर सहमति बनी, जिसमें साधु-संतों, किसानो के हितों का व्यापक रूप से ध्यान रखा जायेगा। चर्चा के बाद सिंहस्थ लैंड पूलिंग को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नगरीय प्रशासन विकास विभाग और जिला प्रशासन को आदेश जारी करने के निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री का किसान संघ ने स्वागत कर आभार व्यक्त किया

बैठक में वरिष्ठ विधायक एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल, विधायक श्री अनिल जैन कालूहेड़ा, किसान संघ की और से सर्वश्री महेश चौधरी, कमल सिंह आँजना, अतुल माहेश्वरी, लक्ष्मी नारायण पटेल, भरत बैस, रमेश दाँगी, बीजेपी संगठन की और से नगर अध्यक्ष श्री संजय अग्रवाल, जिला महामंत्री श्री कमलेश बैरवा, महामंत्री श्री जगदीश पांचाल और श्री आनंद खींची उपस्थित रहे। किसान संघ द्वारा मुख्यमंत्री के निर्णय का स्वागत करते हुये आभार व्यक्त किया गया।

नगर परिषद नयागांव ने चलाया रात्रिकालिन विशेष सफाई अभियान

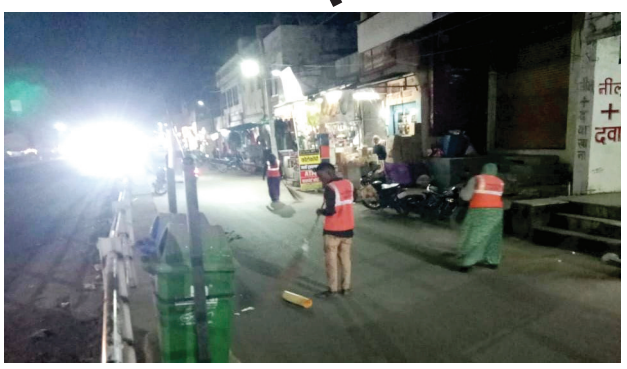

नयागांव। नगर परिषद नयागांव में कलेक्टर हिमांशु चंद्रा, परियोजना अधिकारी पराग जैन के निर्देशानुसार मुख्य नगर पालिका अधिकारी संजय सिंह राठौर एवं नगर परिषद नयागांव अध्यक्ष मुकेश जाट के मार्गदर्शन में नगर परिषद नयागांव में सफाई कर्मियों द्वारा नगर के व्यवसायिक क्षेत्र में प्रतिदिन विशेषरात्रिकालीन सफाई अभियान चलाया जा रहा है। जिसके अंतर्गत प्रतिदिन जावद चौराया, पेट्रोल पंप चौराया, बस स्टैंड आदि क्षेत्रों में रात्रिकालीन सफाई की जाकर व्यवसाईयो को गिला सूखा कचरा अलग अलग करके कचरा वाहन में डाले जाने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। वही अध्यक्ष मुकेश जाट द्वारा प्रतिदिन नागरिकों एवम व्यवसायियों से डस्टबीन रखने गिला सूखा कचरा अलग अलग कचरा वाहन में डालने, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग नही करने ,स्वच्छता के इस पुनीत कार्य मे नगर को नंबर 01 बनाये जाने में सहयोग हेतु अपील की जा रही है।

समता विद्यालय परिवार ने मनाया बाल दिवस

पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद कर मनाया फन फेयर

रिपोर्टर- अनिल लक्षकार
सरवानिया महाराज।

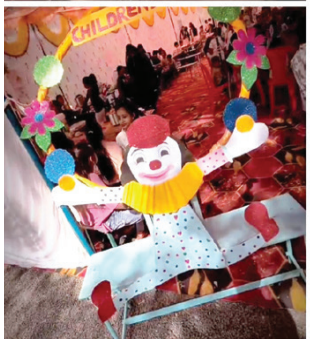

नगर सरवानिया महाराज मे अपनी एक अलग ही पहचान रखने वाला एक ऐसा विद्यालय है जहा बच्चों को शिक्षा संस्कार के साथ-साथ विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में बच्चों को सदैव आगे बढ़ाने हेतु लगातार प्रयास किए जाते हैं इसी कड़ी में क्षेत्र के समता विद्यालय में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी बाल दिवस के अवसर पर भव्य बाल मेंले का आयोजन किया गया कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्रीमती पुष्पांजलि तिवारी प्राचार्य डाइट नीमच, नरेश जोशी सर्व शिक्षा अभियान नीमच, श्रीमती इंदिरा लोहार व्याख्याता डाइट नीमच, श्री कांठेड जी, श्री अनिल लक्षकार (पत्रकार) सरवानिया महाराज द्वारा फीता खोल कर किया गया तत्पश्चात स्वागत द्वार पर छात्रसंघ अध्यक्ष समीक्षा पाटीदार उपाध्यक्ष दिव्या राठौर द्वारा अतिथियों तिलक लगाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ श्रीमती पुष्पांजलि तिवारी प्राचार्य डाइट नीमच द्वारा मां सरस्वती को माल्यार्पण कर तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को माल्यार्पण कर किया गया, विद्यालय के संचालक एवं डायरेक्टर द्वारा मुख्य अतिथियों को माला पहनाकर , कलावा बांधकर स्वागत किया गया। श्रीमती तिवारी द्वारा बच्चों को बाल दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की तथा विद्यालय परिसर में लगे बाल मेले विज्ञान प्रदर्शनी तथा फन फेयर बच्चों द्वारा निर्मित व्यंजनों के स्टॉल का शुभारंभ किया विद्यालय संचालक द्वारा सभी अतिथियों को विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन करवाया उसके बाद सभी व्यंजनों के स्टॉल पर अतिथियों के साथ बच्चों द्वारा निर्मित एक से एक लजीज व्यंजनों का लुफ्त उठाया। इसी क्रम में विद्यालय में खेल के अंदर विद्यालय का नाम रोशन कर जिला एवं संभाग में अपना परचम फैलाने वाले विद्यार्थियों तथा विद्यालय में वर्तमान में हुई परीक्षा में प्रथम द्वितीय तृतीय आए बच्चों को सम्मानित कर उन्हें उपहार प्रदान किए गए कार्यक्रम का संचालन विद्यालय की शिक्षिका प्रिया जायसवाल ने किया, कार्यक्रम में आसपास के क्षेत्र से तथा विद्यालय के बच्चों के पालक परिवार सहित मेले का लुफ्त लेते नजर आए।

समाधान योजना में अब तक 28 हजार 478 बकायादार उपभोक्ताओं ने कराया पंजीयन

35 करोड़ 47 लाख मूल राशि हुई जमा, 19 करोड़ 31 लाख का सरचार्ज हुआ माफ

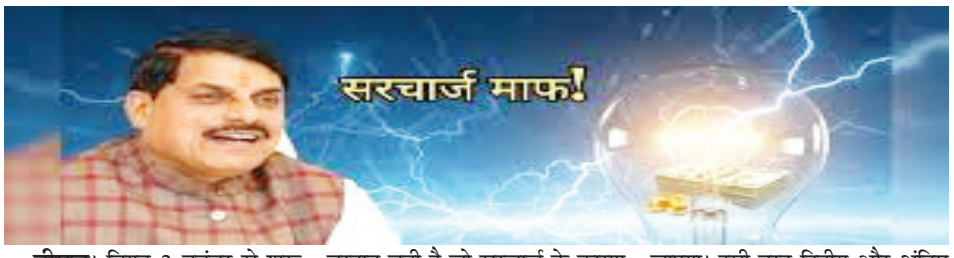

नीमच। विगत 3 नवंबर से शुरू हुई समाधान योजना 2025-26 का लाभ हजारों बकायादार उपभोक्ता उठा रहे हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरणर कंपनी ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार की समाधान योजना 2025-26 में अब तक 28 हजार 478 बकायादार उपभोक्ताओं ने अपना पंजीयन कराया है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के खाते में 35 करोड़ 47 लाख से अधिक की मूल राशि जमा हुई है, जबकि 19 करोड़ 31 लाख का सरचार्ज माफ किया गया है। मध्यप्रदेश सरकार की समाधान योजना 2025- 26 के लागू होने से ऐसे अनेक उपभोक्ता हैं जो बकाया बिल जमा कर रहे हैं और एकमुश्त बकाया जमा राशि जमा करने पर अधिकतम छूट का लाभ ले रहे हैं। कंपनी के प्रबंध संचालक श्री क्षितिज सिंघल ने कंपनी के बकायादार उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे प्रथम चरण में ही एकमुश्त भुगतान कर इस योजना में शामिल होकर सरचार्ज में अधिकतम छूट का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि यह योजना उन बकायादार उपभोक्ताओं के लिए वरदान बनी है जो सरचार्ज के कारण मूलधन राशि जमा नहीं कर पा रहे थे। अब उन्हें समाधान योजना के प्रथम चरण में सरचार्ज में 60 से लेकर 100 प्रतिशत तक छूट के साथ एकमुश्त अथवा किस्तों में भुगतान करने का विकल्प मिल रहा है।

समाधान योजना 2025-26 : एक नजर में

समाधान योजना 2025-26 का उद्देश्य 3 माह से अधिक अवधि के उपभोक्ताओं को बकाया विलंबित भुगतान के सरचार्ज पर छूट प्रदान करना है। यह योजना जल्दी आएं, एकमुश्त भुगतान कर ज्यादा लाभ पाएं के सिद्धांत पर आधारित है। इस योजना में उपभोक्ता को प्रथम चरण में एकमुश्त भुगतान करने पर सबसे अधिक लाभ होगा जबकि द्वितीय चरण के दौरान छूट का प्रतिशत क्रमशः कम होता जाएगा। यह योजना दो चरणों में प्रारंभ होकर प्रथम चरण की शुरुआत 3 नवंबर से 31 दिसंबर 2025 तक रहेगी जिसमें 60 से लेकर 100 प्रतिशत तक सरचार्ज माफ किया जाएगा। इसी तरह द्वितीय और अंतिम चरण में जो कि एक जनवरी से 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी, इसमें 50 से 90 फ़ीसदी तक सरचार्ज माफ किया जाएगा। प्रथम चरण में एकमुश्त राशि जमा कराने पर अधिकतम लाभ होगा। समाधान योजना 2025-26 का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल के लिये portal.mpcz.in पर पंजीयन कराना होगा। कंपनी के उपाय ऐप पर भी पंजीयन की सुविधा शीघ्र ही मिलने लगेगी। पंजीयन के दौरान अलग-अलग उपभोक्ता श्रेणी के लिए पंजीयन राशि निर्धारित की गई है। घरेलू एवं कृषि उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत तथा गैर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 25 प्रतिशत भुगतान कर पंजीयन कराकर योजना में शामिल होकर लाभ उठा सकते हैं। विस्तृत विवरण तीनों कंपनियों की वेबसाइटों पर भी देखा जा सकता है साथ ही विद्युत वितरण केंद्र में पहुंचकर भी योजना के संबंध में जानकारी ले सकते हैं।

रतनगढ़ पुलिस ने धोखाधडी के मामले में 2 वर्षों से फरार चल रहे 5,000 रुपये के ईनामी आरोपी को किया गिरफ्तार

रिपोर्ट- निर्मल मून्दड़ा रतनगढ़।

थाना प्रभारी रतनगढ निरीक्षक मनोज सिंह जादौन के नेतृत्व में थाना रतनगढ के अपराध क्रमांक 118/2023 धारा 406, 420, 411, 120-बी भादवि एवं अपराध क्रमांक 134/2023 धारा 406, 420, 34 भादवि में विगत 02 वर्षों से फरार चल रहे 5,000 रुपये के ईनामी आरोपी मोहम्मद फारुख पिता अब्दुल सत्तार उर्फ ईदुमा जयपुरी लौहार मुसलमान उम्र 46 साल निवासी नई आबादी बिगोद पुलिस थाना बिगोद जिला भीलवाडा (राजस्थान) के द्वारा अपने साथीयों के साथ मिलकर प्रकरण के आवेदकों के साथ धोखाधडी कर आवेदकों की जेसीबी मशीनें एंव ट्रेक्टरों को खुर्द-बुर्द किये गये है। उक्त आरोपी मोहम्मद फारुख पिता अब्दुल सत्तार उर्फ ईदुमा जयपुरी लौहार मुसलमान उम्र 46 साल निवासी नई आबादी बिगोद पुलिस थाना बिगोद जिला भीलवाडा (राजस्थान) को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय पेश किया जावेगा। आरोपी का पीआर प्राप्त कर अपराध सदर के बारे में पूछताछ कर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

21 लाख का दान भी झूठा? संरक्षक को ही चोर बनाना कहाँ का न्याय!

ब्यूरो रिपोर्ट- राजेश जैन "दद्दु"
कोटा/झालावाड़।

क्या अब धर्मस्थलों के संरक्षक ही अपराधी करार दिए जाएँगे? क्या 21 लाख के दान को भी झूठा करार दिया जाएगा? झालावाड़ खानपुर के अतिशय क्षेत्र चांदखेड़ी दिगंबर जैन मंदिर में जो कुछ हो रहा है, वह सिर्फ एक मूर्ति विवाद नहीं, बल्कि राज्य के प्रशासन द्वारा अति अल्पसंख्यक जैन समाज पर किया गया सीधा और अक्षम्य आघात है। झूठे आरोप में ट्रस्ट अध्यक्ष हुकुमचंद जैन 'काका' की गिरफ्तारी ने सम्मपुर्ण जैन समाज के धैर्य की सीमा तोड़ दी है, और अब यह आक्रोश पूरे देश में फैलने की दहलीज पर खड़ा है।

'मालिक' को ही चोरः ये कैसी एकतरफा जांच..?

जैन राजनीतिक चेतना मंच एवं राष्ट्रीय जिन शासन एकता संघ विश्व जैन संगठन के मिडिया प्रभारी राजेश जैन दद्दू एवं राजनैतिक चेतना मंच के अध्यक्ष सुभाष काला ने अपने व्यक्तव में कहा कि प्रशासन ने इस मामले में जिस तरह की जल्दबाजी और एकतरफा कार्रवाई दिखाई है, वह सीधे तौर पर न्याय की धज्जियाँ उड़ाने जैसा है। विश्व जैन संगठन के मंयक जैन कहा कि जैन समाज प्रशासन को चीख-चीख कर कह रहा है कि मंदिर परिसर से सनातन प्रतिमाओं को हटाना आपसी सहमति, विधिविधान और मुहूर्त से हुआ था। यही नहीं, जैन समाज ने हिंदू समाज के मंदिर निर्माण के लिए 21 लाख रुपए का सहयोग भी दिया था। क्या प्रशासन को ये सौहार्दपूर्ण तथ्य नहीं दिखे? या उन्हें जानबूझकर छिपाया गया..? पुलिस ने प्रदर्शनकारी समूहों और असामाजिक तत्वों के दबाव में आकर काम किया। एक प्रतिष्ठित ट्रस्ट अध्यक्ष को झुठे आरोप एवं एकतरफा बयानों के आधार पर जेल भेजना, यह दर्शाता है कि पुलिस सत्य की तलाश नहीं, कर झुठे बयानों के आधार पर जैन समाज के प्रतिष्ठित एवं ट्रस्ट के लोकप्रिय अध्यक्ष हुकुमचंद जैन 'काका' जिन्होंने अपना जीवन धर्म और समाज को समर्पित किया, उन्हें 'चोर' बताकर क्या सरकार और प्रशासन ने जैन समाज की प्रतिष्ठा पर कालिख नहीं पोत दी? एवं सच्चे और निष्पक्ष अधिकारी डीएसपी को हटाए जाने के बाद भी जांच की दिशा नहीं बदली। यह साबित करता है कि षड्यंत्र केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि प्रशासनिक दुर्भावना के गहरे स्तर तक फैला हुआ है। मंयक जैन राजेश जैन दद्दू एवं जैन समाज का यह मानना है कि यह गिरफ्तारी हुकुमचंद जैन को फँसाने की सोची -समझी साजिश का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य मंदिर के प्रबंधन और अल्पसंख्यक जैन समाज के धार्मिक अधिकारों को छीनना है। जैन समाज अपने तीर्थ अतिशय क्षेत्र के प्रति अगाध श्रद्धा रखता है। उनके सर्वोच्च ट्रस्टी को अपराधी ठहराना, उनके अखंडनीय विश्वास को चुनौती देना है। कोटा, जयपुर, इंदौर, दिल्ली से लेकर देश भर में जैन समाज में गहरा आक्रोश है। विभिन्न जैन संगठनों ने विरोध सभाओं का आह्वान किया है। जैन समाज ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक साजिशकर्ताओं पर कार्रवाई नहीं होती, यह मामला शांत नहीं होगा! सरकार को यह समझना होगा कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना सिर्फ चुनावी जुमला नहीं, बल्कि संवैधानिक दायित्व है। राजेश जैन दद्दू एवं मयंक जैन ने मांग करते हुए कहा कि

1. **षड्यंत्रकारियों को बेनकाब करोः** हुकुमचंद जैन को फँसाने वाले असली मास्टरमाइंड्स को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, चाहे वे किसी भी समूह या राजनीतिक दल से जुड़े हों।
2. **न्यायिक जाँच सौंपोः** यह मामला पुलिस के हाथ से निकाल कर तुरंत उच्च-स्तरीय न्यायिक जाँच आयोग या सीबीआई को सौंपा जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।
3. **माफी मांगेः** प्रशासन जैन समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने और एक निर्दोष नेता को प्रताड़ित करने के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए।

सरकार को समझना होगा, यदि धर्म के नाम पर जैन समाज के साथ अन्याय हुआ, तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। आगे से ऐसी किसी भी घटना होने पर सरकार को जैन समाज का रोष झेलना पड़ेगा जिसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे।

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) : एक सिंहावलोकन

भारत निर्वाचन आयोग केद्वारा देश के 12 राज्यों में दूसरे चरण का एसआईआर अर्थात मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है | SIR को लेकर आम आदमी के मन में कई तरह की जिज्ञासाएँ और चिंताएँ हैं। लोग सोच रहे हैं कि अचानक घर-घर फॉर्म बाँटने, जानकारी लेने और बार-बार सत्यापन करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई है और यह सब आखिर चल क्या रहा है। आम वोटर की सबसे बड़ी चिंता यह है कि कहीं उसका नाम मतदाता सूची से हट न जाए, खासकर तब जब BLO दस्तावेज़ नहीं ले रहा। बहुत से लोग उलझन में हो सकते हैं कि बिना दस्तावेज़ दिए उनकी पहचान कैसे सुनिश्चित होगी और क्यों नए फॉर्म, नई फोटो और नई घोषणाएँ माँगी जा रही हैं। कुल मिलाकर आम आदमी के मन में यह मिश्रित भावना है कि "यह हो क्या रहा है?", "कहीं मेरा नाम हट न जाए" और साथ ही यह उम्मीद भी कि इस अभियान से मतदाता सूची अधिक सही, साफ और अद्यतन हो जाएगी और अंततः उसका वोट सुरक्षित रहेगा। तो आइये एस आई आर की इस प्रक्रिया को विस्तार से समझते है|

भारत जैसे बड़ी जनसँख्या वाले और विविधता से परिपूर्ण राष्ट्र में जहाँ प्रत्येक नागरिक का मत ही लोकतंत्र का मूल आधार है,इस मत का सही महत्व तब ही हो सकता है, जब मतदाता सूची शुद्ध, अद्यतन और समावेशी हो।दीर्घ अंतराल के बाद शहरीकरण, प्रवासन, मृतकों के नाम , दोहरे पंजीकरण, अशिक्षा, असमान पहुँच तथा तकनीकी व्यवधानों के कारण मतदाता सूची में त्रुटियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इसी कारण भारत निर्वाचन आयोग समय-समय पर विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision — SIR) कराता है, ताकि प्रत्येक नागरिक की वास्तविक उपस्थिति सूची में सुनिश्चित की जा सके।विधि के अनुसार, मतदाता सूची को संशोधित किया जाना चाहिए । 1951 से 2004 तक 8 बारएसआईआरकियाजाचुकाहै । मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और झारखंड में अंतिम SIR 01.01.2003 को हुआ था, जबकि पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु के अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों, महाराष्ट्र आदि में अंतिम गहन पुनरीक्षण01.01.2002 को संपन्न हुआ था। कुछ राज्यों जैसे असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में यह 01.01.2005 को आयोजित हुआ था।इस प्रकार अंतिमएसआईआर 21 सालसेअधिकपहले 2002-2004 मेंकियागयाथा,इन तिथियों का उल्लेख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके आधार पर यह पता चलता है कि वर्षों से कहाँ गहन सत्यापन नहीं हुआ और कितनी आवश्यकता है कि 2025-26 का यह SIR अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए।प्रथम चरण में बिहार में संपन्न होने के बाद अब दूसरे चरण में 12 राज्यों में भी एस आई आर का सुचारु रूपसे संचालन हो रहा है | वर्तमान विशेष पुनरीक्षण01 जनवरी 2026 की योग्यता तिथि के आधार पर आयोजित किया जा रहा है। विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य है—निर्वाचक नामावली का घर-घर जाकर वास्तविक भौतिक नामांकन करना। इसके अंतर्गत बूथ स्तर अधिकारी (BLO) सीधे प्रत्येक घर पहुँचकर मतदाता की वास्तविकता, पते, पहचान, निवासऔर पात्रता की पुष्टि करते हैं। यह प्रक्रिया सामान्य संक्षिप्त पुनरीक्षण से कहीं अधिक व्यापक और सघन होती है, क्योंकि इसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी पात्र नागरिक सूची से बाहर न रहे और कोई अपात्र व्यक्ति शामिल न हो। BLO द्वारा पहले से प्रिंट फॉर्म प्रत्येक मतदाता को दिया जाता है, जिसमें मतदाता का नाम, ईपिकEPIC नंबर, पता, मतदान केंद्र, विधानसभा क्षेत्र तथा फोटो जैसी जानकारी पहले से मुद्रित रहती है। मतदाता को यह जानकारी जाँचकर, आवश्यक संशोधन सहित BLO को लौटा देना होता है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा भी उपलब्ध है और ऐसे फॉर्म BLO के मोबाइल ऐप पर स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, जिनका सत्यापन घर-घर भ्रमण के दौरान किया जाता है। इस SIR की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि BLO घर-घर भ्रमण के दौरान किसी भी मतदाता से कोई भी दस्तावेज़ एकत्र नहीं करेगा।

ब्लाइंड क्रिकेट खिलाड़ियों को दी जाएंगी सभी सुविधाएँ : मंत्री कुशवाह

20 ब्लाइंड खिलाड़ियों को प्रदान की गईं क्रिकेट किट

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह ने कहा है कि ब्लाइंड क्रिकेट खिलाड़ियों को साधन, सामान और सुविधाओं की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। राज्य सरकार उन्हें सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। उन्होंने यह बात ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया मध्यप्रदेश चैप्टर द्वारा चयनित 20 खिलाड़ियों को क्रिकेट किट वितरण कार्यक्रम में कही। मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि मध्यप्रदेश में ब्लाइंड खिलाड़ियों को क्रिकेट के साथ-साथ अन्य खेल फुटबॉल, चैस आदि से भी जोड़ा जाएगा। इसके लिये सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण विभाग समाज कल्याण के क्षेत्र में संलग्न स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग भी लेगा। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों में प्रतिभा की कमी नहीं है। उन्हें अवसर उपलब्ध कराना हम सबकी जिममेदारी है। मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के समृद्ध भारत के नारे को साकार रूप तभी प्राप्त हो सकता है, जब दिव्यांगजन भी सशक्त और समृद्ध हो सकें। उन्होंने ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। एसोसिएशन के सदस्य डॉ. राजीव जैन ने बताया कि ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा 3 से 9 नवम्बर तक ग्वालियर में ब्लाइंड क्रिकेट खिलाड़ियों की चयन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। उन्हीं चयनित 35 खिलाड़ियों को मंत्री श्री कुशवाह की ओर से क्रिकेट किट प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि जनवरी माह में 8 राज्यों के ब्लाइंड खिलाड़ियों की क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण का कार्य एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर ब्लाइंड क्रिकेट टीम के सदस्य श्री अनिल साकेत और श्री सतीश कनाडे ने भी अपने विचार व्यक्त किये। इस अवसर पर ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन की सुश्री अंजिता राव, सुश्री ज्योति वर्मा सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।

ट्रेन से 631 ग्राम मेफेड्रोन जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार

नीमच। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो विशेष टीम ने विशिष्ट खुफिया सूचना के आधार पर 12 नवंबर 2025 को एक सफल निवारक अभियान चलाते हुए मादक पदार्थ तस्करी की बड़ी खेप पकड़ी। अधिकारियों ने हल्दीघाटी एक्सप्रेस में छापेमारी कर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया, जिसके बैग से 631 ग्राम मेफेड्रोन बरामद किया गया। सूचना मिली थी कि प्रतापगढ़ क्षेत्र से एक व्यक्ति मेफेड्रोन लेकर आगरा जा रहा है। इसके बाद सीबीएन नीमच की विशेष टीम का गठन किया गया, जिसने सुबह मंदसौर रेलवे स्टेशन से संदिग्ध की गतिविधियों पर नज़र रखना शुरू किया। लगातार निगरानी के बाद संदिग्ध की पहचान की गई और नीमच रेलवे स्टेशन पर उसे रोककर पूछताछ के लिए सीबीएन कार्यालय लाया गया। तलाशी के दौरान उसके बैग से 631 ग्राम मेफेड्रोन मिला, जिसके बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए मादक द्रव्य अधिनियम, 1985 की प्रासंगिक धाराओं में उसे गिरफ्तार किया गया। बरामद माल को सील कर जब्त कर लिया गया है।

कार्यालय नगर परिषद, जावद, जिला-नीमच

क्रमांक–राजस्व नामा./2025/2126 जावद दिनांकः– 10/11/2025

नामांतरण विज्ञप्ति

एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह विज्ञप्ति प्रकाशित कि जाती है कि नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 150 व 151 के तहत न.पा. संपत्ति रजिस्टर मे अपना नाम दर्ज करवाने हेतु रजिस्ट्री /वसीयत/दान पत्र/शपथ पत्र आदि के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। अतः इस संबंध मे किसी प्रकार की आपत्ति हो तो 15 दिवस के अंदर मय प्रमाणित दस्तावेज सहित अपनी आपत्ति नगर परिषद कार्यालय मे अद्योहस्ताक्षर को प्रस्तुत कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति मान्य नही की जावेगी एंव नामांतरण हेतु आगामी कार्यवाही की जावेगी।

क.	भवन क्रमांक	वार्ड	मोहल्ला	नाम नं.प. रिकार्ड / विक्रय पत्र में दर्ज	आवेदक	आधार
1	15	7	शितला माता	श्री चतुर्भुज पिता मोती बावरी	श्री दशरथ पिता मनोहर सिंह बावरी	शपत पत्र एवं सहमति
2	20 के भाग पर	5	रुपारेल	मो. हुसेन पिता लाल मो. नियारगर	श्रीमती किरण पति भीमराज धाकड़	विक्रय पत्र
3	14 के भाग पर	2	रामपुरा दरवाजा गली	ईशाक मो., नुर मो. पिता वजिर मो.	ईशाक मो. पिता वजिर खाँ	शपत पत्र एवं आपसी ग्रह व्यवस्था
4	14 के भाग पर	1	रामपुरा दरवाजा गली	ईशाक मो., नुर मो. पिता वजिर मो.	नुर मो. पिता वजिर खाँ	शपत पत्र एवं आपसी ग्रह व्यवस्था
5	19	9	चोपट्टा मोहल्ला	अब्दुल रहिम, नबीनुर पिता ईब्राहिम छिपा	मो. सद्दीक, मो. सब्बीर पिता अब्दुल रहीम	शपत पत्र एवं आपसी ग्रह व्यवस्था
6	131	15	मुर्खजी मार्ग	जयप्रकाश पिता बद्रीदत्त भट्ट	विनायक पिता जयप्रकाश भट्ट	शपत पत्र एवं आपसी ग्रह व्यवस्था
7	10,11	6	आदर्श मोहल्ला	श्रीमती शांतिदेवी पति केलाशचन्द्र मुदंड़ा, श्री केलाशचन्द्र पिता बद्रीलाल मुंदड़ा	श्रीमती दिलखुश पति विमल कुमार जैन, श्रीमती प्रियंका पति दीपक कुमार जैन, श्रीमती परिधि पति पंकज जैन	विक्रय पत्र
8	नवीन प्लाट	3	जवाहर मार्ग	श्री चन्द्र प्रकाश पिता भागीरथ पालीवाल,श्री जगदीश प्रसाद पिता भागीरथ पालीवाल,श्री केशव प्रसार पिता भागीरथ पालीवाल	श्री विजय कुमार पिता सत्यनारायण सोमानी	खसरा,पावती, डायवर्सन
9	21 का 1/2	1	मस्जिद गली	श्री डामरसी पिता कालु जी खटीक	श्रीमती रेखा छपारा पति स्व. मेवालाल खटीक	शपत पत्र एवं आपसी ग्रह व्यवस्था
10	21 का 1/2	1	मस्जिद गली	श्री डामरसी पिता कालु जी खटीक	श्री हजारीलाल पिता डामरसी खटीक	शपत पत्र एवं आपसी ग्रह व्यवस्था
11	18	1	रामदेव मार्ग	श्री डामरसी पिता कालु जी खटीक	श्री फुलचंद पिता डामरसी खटीक	शपत पत्र एवं आपसी ग्रह व्यवस्था
12	4/2	14	केलाशनाथ काटजु गली	श्री बंसीलाल पिता मांगीलाल पलोड़	श्रीमती चन्द्रकाता, श्री रात्यनारायण, श्री ओमप्रकाश , अशोककुमार ,श्री सुरेशचन्द्र पिता बंसीलाल पलोड़(माहेश्वरी)	शपत पत्र एवं आपसी ग्रह व्यवस्था
13	51,53	10	गंगा बावड़ी	श्रीमती पानीबाई पति चत्रा कंडारा	श्रीमती रानी पति इंद्रजित कंडारा	वसीयत
14	34	6	आदर्श मोहल्ला	श्री गोपाल पिता बंसतीलाल सोमानी	शाह नवाज, तालिब हुसेन, जाकिर हुसेन पिता अब्दुल रसिद	विक्रय पत्र
15	नवीन प्लाट	10	दादाभाई नोरोजी मार्ग	आयतु निशा पति युसुफ मुसलमान	नजमा बी पति शहादत हुसेन	विक्रय पत्र
16	20	6	आदर्श मोहल्ला	श्री गोपाल पिता बंसतीलाल सोमानी	श्री विनोद कुमार पिता अंबालाल प्रजापत	विक्रय पत्र
17	78/1	1	रामदेव मार्ग	श्री कोमलचंद, दशरथमल , तरुण पिता राधेश्याम विरवाल	श्री अनिल पिता मदनलाल चंदेल	विक्रय पत्र
18	366	9	मुर्खजी मार्ग	हलीमा बाई पति अब्दुल रहीम	मो. ईशहाक पिता मो. ईस्माईल	श्पत पत्र एवं सहमति
19	13 का भाग	3	शास्त्री मार्ग	श्री रतनलाल पिता काशीराम धाकड़	बंटी पिता रमेशचंद धाकड़	विक्रय पत्र
20	27 का 1/4 का 1/2	2	तकिया चौक	रईस मो. पिता अब्दुल रहमान	फरिदा पति रईस मो.	विक्रय पत्र
21	119,120	15	मुर्खजी मार्ग	श्री मुलचंद पिता छोगालाल सारड़ा	श्री सत्यनारायण पिता मुलचंद सारड़ा	शपत पत्र एवं वसियत
22	नवीन प्लाट	5	रुपारेल	श्री वासुदेव पिता हरलाल धाकड़	श्रीमती रेखा पति रुद्रदेव श्रोत्रिय	विक्रय पत्र खसरा,पावती, डायवर्सन
23	87/1	1	रामदेव मार्ग	अशोक कमार पिता मोहनलाल चंदेल	श्रीमती कोशिल्या बाई पति राधेश्याम प्रजापत	विक्रय–पत्र
24	6 व 7	8	बड़ीहोली मोहल्ला	पारबती पिता पन्नालाल माली	मुमताज पति निसार अहमद	विक्रय–पत्र
25	1	4	बैंगन पुरा	शिवप्रकाश पिता गेंदालाल ऐरन	श्री गीता बाई पति शिवप्रकाश ऐरन	शपत–पत्र
26	नवीन प्लाट	11	डा. जाकिर हुसेन मार्ग	शिया दाउदी बौहरा समाज बड़ी मस्जिद मदरसा जमातखाना जावद सेकेटरी– शुजाउद्दीन पिता ताहेरअली बोहरा	शिया दाउदी बौहरा समाज बड़ी मस्जिद मदरसा जमातखाना जावद सेकेटरी– शुजाउद्दीन पिता ताहेरअली बोहरा	खसरा,पावती, डायवर्सन
27	53	3	जवाहर मार्ग	कांताबाई पति शिवचंद डोरिया	कालु शंकर पिता शिवचंद डोरिया	वसीयत नामा
28	नवीन प्लाट	8	जवाहर मार्ग	मनीष पिता तेजप्रकाश मुणेत	फेमिदा बानो पति मो. उमर छीपा	खसरा,पावती, डायवर्सन
29	73	3	जवाहर मार्ग	राधेश्याम पिता मांगीलाल धाकड़	गीताबाई पति राधेश्याम धाकड़	श्पथ–पत्र
30	41/1	13	रवीन्द्रनाथ टेगोर गली	सुमित्रादेवी पति सत्यनारायण शर्मा	राजेश शर्मा, पवन शर्मा पिता सत्यनारायण शर्मा	श्पथ–पत्र
31	नवीन प्लाट	3	जवाहर मार्ग	अतुल जोशी, अजय जोशी पिता भालचंद जोशी	अजय पिता भालचन्द्र जोशी	खसरा,पावती, डायवर्सन,सहमति
32	15	1	रामदेव मार्ग	सरस्वतीबाई पति लागचंद बागडी	रावनकुमार पिता लाभचंद बागड़ी	दान–पत्र
33	2/4	7	खोर दरवाजा मार्ग	मुकेश कुमार पिता घनश्याम सोनी	निर्मला पति तेजप्रकाश मुणेत	विक्रय–पत्र

सोहन माली
अध्यक्ष
नगर परिषद् जावद

जगजीवन शर्मा
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् जावद

जीरन पुलिस ने नगर परिषद जीरन के फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले पर कार्यवाही करते हुए आरोपी को किया गिरफ्तार

जीरन। नगर परिषद जीरन के द्वारा थाना जीरन पर एक लेखी शिकायत आवेदन पेश किया की उनके कार्यालय पर शासकीय भुमियो के सम्पत्तिकर के प्रमाण पत्र तथा आवास के प्रमाण पत्र प्राप्त हुए है। जिनका उनकी निकाय के रिकार्ड से मिलान करने पर उक्त प्रमाण पत्र उनके कार्यालय से जारी नही होना पाये गये। उक्त घटना को गम्भीरता से लेते हुए थाना प्रभारी उमेश यादव के नेतृत्व में थाना जीरन की टीम के द्वारा शिकायत आवेदन के प्रत्येक बिन्दु की बारिकी से जांच करते पाया की नगर परिषद के बाहर फोटो कापी तथा आनलाइन दुकान के संचालक शुभम् पिता कन्हैयालाल अहिरवार निवासी जीरन के द्वारा उक्त फर्जी प्रमाण पत्र बनाना पाया गया। जिस पर से उक्त आरोपी के विरूद्ध अपराध कायम किया जाकर शुभम् पिता कन्हैयालाल अहिरवार को आज दिनांक 18.11.2025 को गिरफ्तार कर आरोपी से प्रकरण मे पुछताछ कर अग्रिम कार्यवाही जारी है।

बरडिया जागीर में निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर सम्पन्न

नीमच। शासन के निर्देशानुसार निशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर सोमवार को माध्यमिक विद्यालय बरडिया जागीर में आयोजित किया गया। शिविर में आमवात, संधिवात, चर्म रोग, उदर रोग,विबंध, श्वास,कास,प्रतिशय, रक्त अल्पता, अर्श ,गैस, अम्लपित आदि से पीड़ित रोगियों की जांच कर निःशुल्क औषधि वितरित की गई। शिविर में कुल 32 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर, औषधीयां वितरित की गई तथा डॉ.आबिद खान आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के द्वारा रोगियों को तनाव से मुक्ति, गर्भावस्था का आहार, स्वच्छता अभियान, दिनचर्या, पोषण से सम्बन्धित जानकारी दी। शिविर में पंचायत सदस्य, स्कूल के प्रधान अध्यापक एवं शिक्षक, औषधालय स्टाफ उपस्थित था।

पंख अभियान के तहत बांछड़ा समुदाय के कमल को मिला ई-रिक्शा

स्वरोजगार का साधन मिलने से खुश है कमल

नीमच। जिले में कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा द्वारा शुरू की गई अभिनव पहल पंख अभियान के तहत बांछड़ा समुदाय के लोगों को स्वरोजगार से जोड़कर सम्मानजनक जीवन जीने एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से निरंतर कार्य किया जा रहे हैं। इसी क्रम में जनजातिय गौरव दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने अल्ट्राटेक सीमेंट खोर के सहयोग से सीएसआर निधि से पंख अभियान तहत हिंगोरिया निवासी श्री कमल पिता मांगीलाल बाछड़ा को स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनने के लिए निशुल्क ई-रिक्शा प्रदान किया गया है। कार्यक्रम में मंच से श्री कमल को ई-रिक्शा की चाबी प्रदान की गई। सांसद श्री सुधीर गुप्ता, विधायक नीमच श्री दिलीपसिंह परिहार एवं कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने कमल के ई-रिक्शा में बैठकर इसका शुभारंभ किया तथा लाभार्थी को किराया भी भुगतान किया इस अवसर पर अल्ट्राटेक सीमेंट खोर से श्री प्रमोद रथ एवं श्री अनूप पांडे उपस्थित थे।

भावांतर योजना में सोयाबीन का मॉडल रेट बढ़कर हुआ 4255 रुपए

नीमच। भावांतर योजना 2025 के अंतर्गत सोयाबीन विक्रेता किसानों के लिए आज 18 नवंबर को 4255 रुपए प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी किया गया है। यह मॉडल रेट उन किसानों के लिए है जिन्होंने अपनी सोयाबीन की उपज मंडी प्रांगणों में विक्रय की है। इस मॉडल रेट के आधार पर ही भावांतर की राशि की गणना की जाएगी। सोयाबीन के मॉडल रेट में लगातार वृद्धि जारी है। पहला मॉडल रेट 7 नवंबर को 4020 रुपए प्रति क्विंटल जारी किया गया था। इसी तरह 8 नवंबर को 4033 रुपए, 9 और 10 नवंबर को 4036 रुपए, 11 नवंबर को 4056 रुपए, 12 नवंबर को 4077 रुपए, 13 नवंबर को 4130 रुपए, 14 नवंबर को 4184 रुपए, 15 नवंबर को 4225 रुपए, 16 नवंबर को 4234 रुपए तथा 17 नवंबर को 4236 रुपए प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी हुआ था। राज्य सरकार की गारंटी है कि किसानों को हर हाल में सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य की 5328 रुपए प्रति क्विंटल की राशि मिलेगी। भावान्तर का मॉडल रेट बढ़ने का आशय यह है कि मंडी में सोयाबीन का भाव बढ़ रहा है। नमी कम होने से सोयाबीन की गुणवत्ता ठीक होने से रेट का बढ़ना स्वाभाविक है। किसानों को मंडी में अच्छा भाव मिल रहा है। वैसे भी मॉडल भाव पिछले चौदह दिन के सोयाबीन के बाजार भाव का भारित औसत है। एमएसपी से ऑक्शन भाव / मॉडल भाव के अंतर की राशि सरकार दे रही है और किसान के नुक़सान की भरपाई कर रही है। प्रदेश में भावान्तर योजना के सफल क्रियान्वयन ने किसानों को एमएसपी की राशि मिलने की गारंटी दी है। व्यापारियों को मंडी से व्यापार मिल रहा है, जो उपार्जन की वजह से प्रभावित हो जाता है।

ए.पी.सी.विभाग समूह की समीक्षा बैठक सम्पन्न

नीमच। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रोरेट सभाकक्ष नीमच में सोमवार को किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, पशु चिकित्सा सेवायें, सहकारी संस्थायें, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., उद्यानिकी विभाग, कृषि अभियांत्रिकी विभाग, एम.पी. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमि., म.प्र.बीज एवं फार्म विकास निगम एवं मत्स्य विभागों से संबंधित योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर श्री चंद्रा ने कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान उपसंचालक कृषि को, उर्वरक/बीज निरीक्षकों के साथ में अपने समक्ष में 30-30 उर्वरक एवं बीज के नमूने लिये जाने हेतु निर्देशित किया। पी.एम.एफ.ई. योजना की प्रगति के समीक्षा में निर्देश दिए, जिसमें आगामी बैठक से पूर्व 100 से अधिक प्रकरण में स्वीकृति जारी करने तथा 75 प्रकरणों में ऋण वितरण सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया। पशुपालन विभाग की समीक्षा में पशुपालन केसीसी के 1500 पेंडिंग प्रकरणों में स्वीकृति जारी करने हेतु क्षेत्रीय प्रतिनिधि, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक को निर्देशित किया गया। जिले में भंडारित उर्वरकों के संबंध में कृषकों के मध्य प्रचार-प्रसार हेतु जिला विपणन अधिकारी को समय-समय पर प्रेसनोट जारी करने हेतु निर्देशित किया गया।समीक्षा बैठक में उप संचालक कृषि, उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, नीमच जिला नोडल अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., नीमच उप संचालक, उद्यानिकी, जिला-नीमच, जिला विपणन अधिकारी, म.प्र. राज्य सहकारी विपणन नीमच, मंदसौर, सहायक संचालक, मतस्य, सहायक कृषि यंत्री, जिला-नीमच उपस्थित रहें। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को योजनाओं की शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति करने हेतु निर्देशित किया गया।

सिंगोली पुलिस ने पिकअप वाहन से 522 किलो डोडाचूरा सहित राजस्थान के 2 आरोपी किये गिरफ्तार

सिंगोली। थाना प्रभारी भूरालाल भाभर ने नेतृत्व में पुलिस टीम ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया है। थाना प्रभारी के नेतृत्व में गठित टीम ने महिन्द्रा बोलेरो पिकअप क्रमांक-RJ 06 GB 5410 से 522 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा जप्त करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 18 नवंबर 2025 को सिंगोली–कांस्या रोड पर तिलस्वां घाट के पहले मोड़ पर अवैध मादक पदार्थ की धरपकड़ हेतु सिंगोली पुलिस ने नाकाबंदी की। इस दौरान करीब 9:30 बजे एक सफेद रंग की महिन्द्रा बोलेरो पिकअप पुलिस की नाकाबंदी देख रुकी। वाहन में दो व्यक्ति बैठे दिखाई दिए। जिसके बाद पुलिस को देखते ही चालक घबराया और वाहन को मोड़कर भागने व पलटाने का प्रयास करने लगा। जिसके बाद शंका व फोर्स ने तत्परता दिखाते हुए शासकीय वाहन, फोर्स और पंचान की मदद से बोलेरो की घेराबंदी की। तलाशी के दौरान वाहन में काले रंग के 29 प्लास्टिक कट्टों में भरा 522 किलोग्राम डोडाचूरा मिला। पुलिस ने कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए पिकअप वाहन और अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा जप्त किया। साथ ही मौके से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा आरोपियों से मादक पदार्थ के स्त्रोत, सप्लाई नेटवर्क एवं अन्य सहयोगियों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। प्रकरण में आगे की जांच पुलिस कर रही है। कार्यवाही के दौरान पुलिस ने आरोपी राधाकिशन पिता चुन्नीलाल जाट (24) निवासी जाटों का नोहरा, ग्राम पंचायत जावल, थाना कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा और हरीलाल पिता रामेश्वर जाट (26) निवासी जाटों का नोहरा, ग्राम पंचायत जावल, थाना कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा को गिरफ्तार किया है।

कार्यालय नगर परिषद डीकेन जिला नीमच (म.प्र.)

क्रमांक 1872 /नामान्तरण/2025–26 डीकेन दिनांक 18../11../2025

::– नामान्तरण विज्ञप्ति ::–

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत सीमा क्षेत्र स्थित भवन/भूमि को नगर पंचायत संपत्तिकर/समेकित कर रजिस्टर में नाम दर्ज कराने हेतु आवेदन पत्र क्रय विक्रय रजिस्टर्ड अभिलेख एवं अन्य हस्तान्रण संबंधित लेख प्रस्तुत कर किये गये है ।

अतः कोई भी व्यक्ति निम्न के संबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 30 दिवस के भीतर समक्ष साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं । बाद अवधि के नामान्तरण कर दिया जावेगा ।

क्र.	स.क्र.	हस्तान्तरणकर्ता का नाम	हस्तान्तरण किस के हित में किया जाना	भवन / भूमि नं.	हस्तान्तरण का आधार	अवधि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1		श्री सादीक मो पिता निशार मो.	श्री कमलेशकुमार पिता जगन्नाथ राठौर	वार्ड 04 में संपत्ति कं 13 पर	रजिस्टर्ड अभिलेख	30 दिवस	
2		श्री कमलेशकुमार पिता जगन्नाथ राठौर	श्री हेमंत कुमार पिता बाबुलाल धाकड़	वार्ड 04 में संपत्ति कं 13 पर	रजिस्टर्ड अभिलेख	30 दिवस	
3		श्री नीरज पिता दीनदयाल सोनी	श्री सपनादेवी पति सुनिलकुमार टेलर	वार्ड 15 में संपत्ति कं 79 पर	रजिस्टर्ड अभिलेख	30 दिवस	
4		श्री बंशीलाल पिता सुदंरलाल मुच्छारा	श्री नोंदराम पिता बंशीलाल पाटीदार	वार्ड 13 में संपत्ति कं 112 व 72 व वार्ड 14 में संपत्ति कं 69 पर	रजिस्टर्ड अभिलेख	30 दिवस	
5		श्री राकेश पिता हिरालाल सेन	श्री रजनीश पिता राकेश सेन	वार्ड 04 में संपत्ति कं 110 मे से	शपथ पत्र	30 दिवस	
6		श्री रामनारायण पिता भवानीराम मंडावत	श्री रामलाल पिता केशुराम मंडावत	वार्ड 08 में संपत्ति कं 292 पर	शपथ पत्र	30 दिवस	
7		श्री शब्बीर पिता मकबुल अहमद मंसुरी	अंजुमन कमेटी डीकेन	वार्ड 07 में संपत्ति कं 69 पर	शपथ पत्र	30 दिवस	
8		श्रीमती लच्छीबाई पति शिवनारायण राठौर	श्रीमती शान्ति पति विनोद मालवीय	वार्ड 13 में संपत्ति कं 19 पर	शपथ पत्र	30 दिवस	
9		श्री ताराचंद पिता लुणाजी मेघवाल	श्री अमृतलाल पिता हीरालाल मेघवाल	वार्ड 08 में संपत्ति कं 167 पर	शपथ पत्र	30 दिवस	
10		श्री गोपाल पिता नानादास बैरागी	श्री सुरजीतकौर पति हरचरणजितसिंह वालिया	वार्ड 02 में संपत्ति कं 102 पर	शपथ पत्र	30 दिवस	
11		श्री अर्जुन पिता गोर्वधन पाटीदार	श्री रामनिवास पिता चेतराम पाटीदार	वार्ड 08 में संपत्ति कं 24 पर	शपथ पत्र	30 दिवस	
12		श्रीमती सीताबाई पति धन्ना भांभी	श्री संजय पिता कन्हैयालाल भांभी	वार्ड 01 में संपत्ति कं 42 व 43 पर	शपथ पत्र	30 दिवस	

(श्रवण कुमार पाटीदार)
अध्यक्ष
नगर परिषद डीकेन

(अब्दुल रउफ खान)
मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद डीकेन (म.प्र.)

श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित श्रीमद भागवत कथा 17 नवंबर से प्रारंभ होकर 23 को होगा समापन

रिपोर्टर- अनिल लक्षकारसरवानिया महाराज।

नगर में धामनिया-लासूर रोड़ पर कलेपुर चौराहा के समीप स्वर्गीय श्री रामनिवास जी सोनी की स्मृति में सात दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 17 नवंबर 2025 से होने जा रहा है, कथा का आयोजन प्रतिदिन दोपहर को 12 बजे से 3 बजे तक होगा। भागवत कथा का वाचन श्री लक्ष्यानंद जी महाराज अल्हेड़ मनासा वालों के मुखारविंद से होगा। इसके साथ ही नर्मदेश्वर महादेव प्राण प्रतिष्ठा भी 17 नवंबर को की जायेगी। इस अवसर पर सोनी परिवार द्वारा श्री गंगा माता जी का गंगोज, गृह प्रवेश एवं गंगा प्रसादी का आयोजन भी किया गया है। कथा का विश्राम 23 नवंबर को होगा। क्षेत्र की जनता से अनुरोध है कि आप सभी सपरिवार श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने जरूर पधारे। उक्त जानकारी गणेशराम सोनी द्वारा दी गई है।

पीएम श्री एयर एम्बुलेंस से ताराबाई को उच्च स्तरीय इलाज के लिए इंदौर भेजा

नीमच। पीएमश्री एयर एम्बुलेंस सेवा प्रदेश में गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों को उच्च स्तरीय उपचार के लिए बड़े शहरों के अस्पतालों में भेजने हेतु वरदान सिद्ध हो रही है। इस योजना के तहत मंगलवार सुबह खंडवा जिले के पंधाना विकासखण्ड के ग्राम शाहपुरा निवासी श्रीमती ताराबाई पति बलराम उम्र 73 वर्ष को खंडवा की हवाई पट्टी से एयर एम्बुलेंस के माध्यम से इंदौर के एम वाय हॉस्पिटल में उच्च स्तरीय इलाज के लिए भिजवाया गया। मरीज के साथ उनके परिजन श्री लक्ष्मण ओसवाल भी गए। उन्होंने ताराबाई के उपचार के लिए एयर एंबुलेंस की निशुल्क सुविधा मिलने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर खंडवा महापौर श्रीमती अमृता अमर यादव और श्री मुकेश तन्वे भी मौजूद थे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. ओ.पी. जुगतावत ने बताया कि रीढ़ की हड्डी में चोट के कारण ताराबाई लकवा ग्रस्त हो गई थी, मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए आज एयर एंबुलेंस के माध्यम से इंदौर भिजवाया गया है, जिससे वहां उन्हें उच्च स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। डॉ. जुगतावत ने बताया कि एयर एम्बुलेंस से आयुष्मान कार्ड धारको को राज्य के भीतर और बाहर सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज के लिए भेजने हेतु निशुल्क सेवा उपलब्ध है। गैर आयुष्मान कार्ड नागरिको को राज्य के भीतर सरकारी अस्पतालों तक निशुल्क तथा राज्य के बाहर अनुमोदित दरों पर सशुल्क सेवा उपलब्ध है। इस दौरान सिविल सर्जन डॉ. अनिरुद्ध कौशल, अस्पताल अधीक्षक डॉ.रंजीत बड़ोले, नोडल अधिकारी एयर एंबुलेंस डॉ.दीपशिखा इवने व अधिकारी मौजूद थे।

मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत गैर संस्थागत सेवा योजना को आगामी 5 वर्षों तक संचालित करने की स्वीकृति

प्रदेश के 13 जिलों के आयुष चिकित्सालयों में 373 नवीन पदों की स्वीकृति,मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् में भर्ती के लिए सेवा शर्ते एवं नियम 2025 अनुमोदित,मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय

नीमच। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना में सिंचाई के लिये सोलर पम्प स्थापना की योजना में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। संशोधन अनुसार कृषकों को स्वीकृत सोलर पम्प स्थापना क्षमता से एक क्षमता अधिक तक का विकल्प प्रदाय किया जायेगा। अब 3 एच.पी. के अस्थाई विद्युत कनेक्शनधारियों को 5 एच.पी. और 5 एच.पी. के अस्थाई विद्युत कनेक्शनधारियों को 7.5 एच.पी. का सोलर पंप प्रदाय करने का विकल्प दिया जाएगा।

योजना के प्रथम चरण में अस्थायी विद्युत कनेक्शन संयोजन वाले किसानों अथवा अविद्युतीकृत किसानों को सोलर पम्प का लाभ दिया जाएगा। योजना अनुसार 7.5 एचपी क्षमता तक का सोलर पम्प पम्प लगाने के लिए अस्थाई विद्युत कनेक्शन धारी कृषक का अंश 10% रहेगा। शासन द्वारा 90% की सब्सिडी दी जाएगी।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की कुसुम-ब योजना को प्रदेश में "प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना" नाम से 24 जनवरी 2025 से लागू किया गया है। इसका क्रियान्वयन राज्य में मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। इस निर्णय से सोलर पंप की स्थापना से विद्युत पंपों को विद्युत प्रदाय के लिए राज्य सरकार पर अनुदान के भार को सीमित किया जा सकेगा एवं विद्युत वितरण कम्पनियों की वितरण हानियों को कम किया जा सकेगा।

मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत गैर संस्थागत सेवा योजना संचालित करने की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत गैर संस्थागत सेवा योजना यथा स्पॉन्सरशिप, फॉस्टर केयर, आफ्टर केयर को आगामी 5 वर्षों तक प्रदेश के समस्त जिलों में संचालित करने की स्वीकृति दी गयी है। योजना के तहत पात्र बच्चे को 4 हजार रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जायगी। इसके साथ ही 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर बाल देखभाल संस्थान छोड़ने वाले बच्चों को ऑफटर केयर के माध्यम से रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जायेगा। योजना के तहत विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त माता के बच्चे, अनाथ एवं विस्तारित परिवार के साथ निवासरत बच्चे, असाध्य बीमारी से पीड़ित माता-पिता के बच्चे, बच्चे की शारीरिक और आर्थिक रूप से देखभाल करने में असमर्थ माता पिता के बच्चे, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे (बेघर, प्राकृतिक आपदा से पीड़ित, बाल श्रमिक, बाल वेश्यावृति के शिकार, एड्स पीड़ित, बाल भिक्षुक, सड़क पर रहने वाले, घर से भागे, निर्योग्यत वाले, लापता, शोषण और दुर्व्यवहार के शिकार श्रेणी के बच्चे) लाभान्वित होंगे। मिशन वात्सल्य योजना क्रियान्वयन के लिए कुल 1,022 करोड़ 40 लाख रुपये का व्यय होगा। इसमें राज्यांश 408 करोड़ 96 लाख रुपये और केंद्रांश 613 करोड़ 44 लाख रुपये होगा। इससे प्रदेश के 33 हजार 346 बच्चे लाभान्वित होंगे। यदि योजना अन्तर्गत निर्धारित स्वीकृत अवधि में भारत सरकार द्वारा योजना मापदण्डों में कोई परिवर्तन किए जाते है तो उक्त अवधि में परिवर्तित मापदण्ड प्रभावशील होंगे।

आयुष चिकित्सालयों में 373 नवीन पदों की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश के 12 जिलों भोपाल, इन्दौर, नरसिंहपुर, मण्डलेश्वर (खरगौन), बालाघाट, गुना, भिण्ड, सीहोर, अमरकंटक (अनूपपुर), पन्ना, श्योपुर एवं शुजालपुर (शाजापुर) में 50 बिस्तरीय आयुष चिकित्सलयों एवं बड़वानी जिले में 30 बिस्तरीय चिकित्सालय के संचालन के लिए 373 पद एवं 806 मानव संसाधन सेवाएं ऑन कॉल की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृत नवीन पदों में प्रथम श्रेणी के 52 पद, द्वितीय श्रेणी के 91 और तृतीय श्रेणी के 230 पद शामिल है। नियमित पदों पर वार्षिक वित्तीय भार 25 करोड़ 57 लाख रूपये आयेगा। इसके साथ ही स्वीकृत मानव संसाधन सेवाओं मे द्वितीय श्रेणी के 91, तृतीय श्रेणी के 117 और चतुर्थ श्रेणी के 598 पद शामिल है। मानव सेवाओं का प्रबंधन भारत सरकार के राष्ट्रीय आयुष मिशन से किया जायेगा।

मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् में भर्ती के लिए सेवा शर्ते एवं नियम अनुमोदित

मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्के वैज्ञानिकों/ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा शर्तें नियम 2025 का अनुमोदन प्रदान किया गया।विज्ञान, तकनीकी, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के क्षेत्र में वर्तमान समय में हो रहे अनुप्रयोगों के दृष्टिगत् प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् की गतिविधियों में सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र, ग्रामीण प्रौद्योगिकी उपयोग केन्द्र, मौसम परिवर्तन अनुसंधान केन्द्र, अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान केन्द्र एवं उन्नत शोध एवं उपकरण सुविधा केन्द्र कार्यरत् है, के लिए उत्कृष्ट वैज्ञानिकों की आवश्यकता बनी रहती है।

निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद में गैर वैज्ञानिक संवर्ग के लिए, सेवा संरचना एवं भर्ती नियमों को अंगीकृत किया गया है। वैज्ञानिक संवर्ग के लिए चूंकि केडर का प्रावधान नहीं होने एवं वैज्ञानिक संवर्ग के पदों को भविष्य में होने वाले वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के क्षेत्र में हो रहे अनुसंधानों के हुए मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद में वैज्ञानिक संवर्ग के केडर का उन्नयन किया जायेगा। इससे वैज्ञानिक अनुसंधान एवं नवाचार के लिए योग्य वैज्ञानिकों की सेवाएं प्रदेश को प्राप्त हो सकेगी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 11 मई, 2015 द्वारा मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद में नवीन पदों की भर्ती पर लगाई गई रोक हटाये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षेत्र में वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् नोडल एजेन्सी के रूप में कार्यरत है।

मेडिको लीगल संस्थान के अधिकारियों को पुनरीक्षित (सातवें) वेतनमान का वास्तविक लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा मेडिको लीगल संस्थान के अधिकारियों को पुनरीक्षित वेतनमान (सातवां वेतनमान) का वास्तविक लाभ लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के संवर्ग के समान 1 जनवरी 2016 से प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। शासन के समस्त विभागों में पुनरीक्षित वेतनमान (सातवां वेतनमान) का वास्तविक लाभ 1 जनवरी 2016 से प्रदान किया गया है। उसी अनुक्रम में मेडिको लीगल संस्थान के अधिकारियों को भी लाभ दिए जाने का निर्णय लिया गया है। लाभ दिये जाने पर एरियर राशि का अनुमानित वित्तीय भार 93 लाख रुपये आएगा। मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में क्रियान्वित सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड (एसआईबी) योजना में संशोधन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृति अनुसार आयुक्त, संस्थागत वित्त को राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति का सदस्य सचिव के रूप में नामित किया गया है। योजनान्तर्गत 100 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान सामाजिक न्याय विभाग के स्थान पर वित्त विभाग के बीसीओ, आयुक्त संस्थागत वित्त में किया गया है। साथ ही तकनीकी एजेंसी के चयन के लिए परियोजना क्रियान्वयन विभाग को अधिकृत किया गया है। योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक विभाग वित्त विभाग को बनाया गया है

नव गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगर-मालवा के लिए नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार नवगठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगर-मालवा के लिये कुल 9 नवीन पदों का सृजन किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। इसमें सचिव का 1 पद, जिला विधिक सहायता अधिकारी का 1 पद, सहायक ग्रेड-2 का 1 पद, सहायक ग्रेड-3 के 2 पद, आदेश तामीलकर्ता के 2 पद और भृत्य के 2 पद स्वीकृत किये गए है। इन पदों पर वार्षिक वित्तीय भार 59 लाख 42 हजार रूपये आयेगा। मंत्रि-परिषद की बैठक वंदे मातरम गायन के साथ शुरू हुई।

शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कृषकों को फसल ऋण दिये जाने की योजना को निरंतर रखे जाने का निर्णय

नीमच। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक गुरूवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कृषकों को अल्पावधि फसल ऋण दिये जाने की योजना को निरंतर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। खरीफ 2025 सीजन की ड्यू डेट 28 मार्च, 2026 और रबी 2025-26 सीजन की ड्यू डेट 15 जून 2026 नियत की गयी है।

योजनान्तर्गत खरीफ एवं रबी सीजन की निर्धारित तिथि (ड्यू डेट) तक ऋण की अदायगी करने वाले किसानों से प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) द्वारा 3 लाख रूपये तक के दिये गये अल्पावधि फसल ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा। राज्य शासन द्वारा सभी किसानों के लिए 1.5 प्रतिशत सामान्य ब्याज अनुदान और निर्धारित ड्यू डेट तक ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को 4 प्रतिशत प्रोत्साहन स्वरूप अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जायेगा। वर्तमान वर्ष में 23 हजार करोड़ रूपये वितरण का लक्ष्य रखा गया हैं।

एसडीजी मूल्यांकन योजना का अनुमोदन

मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में सतत् विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए "एसडीजी (सतत् विकास लक्ष्य) मूल्यांकन योजना" को आगामी 5 वर्षों (वर्ष 2025-30 तक) के लिए स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है। योजना अंतर्गत सतत् विकास के लक्ष्यों का राज्य, जिला एवं विकासखंड स्तर पर स्थानीयकरण, क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रदेश के सभी जिलों के सतत् विकास लक्ष्यों और उनके संकेतक के आधार पर डैशबोर्ड के माध्यम से रैंकिंग तय की जायेगी। डैशबोर्ड आधारित रैंकिंग अनुसार दो शीर्ष प्रदर्शन किये जाने वाले जिलों को पुरस्कार राशि का वितरण किया जाएगा। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले जिले को 1 करोड़ रुपए और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले जिले को 75 लाख रुपए की वित्तीय सहायता का वार्षिक प्रावधान किया जाएगा। चयनित जिला अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 17 सतत् विकास लक्ष्यों में से किसी भी लक्ष्य में सुधार के लिए पुरस्कार राशि का उपयोग कर सकता है। प्रदेश के ऐसे जिले जिनका रैंकिंग में प्रदर्शन कमजोर स्तर का होगा, उन्हें प्रदेश में चल रही कल्याणकारी योजनाओं की सहायता से विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जायेगा, जो प्रदेश के समग्र विकास में सहायक होगा। योजना पर 19 करोड़ 10 लाख रूपये (3 करोड़ 82 लाख प्रतिवर्ष) का अनुमानित व्यय होगा।

उल्लेखनीय है कि योजना अंतर्गत सतत् विकास लक्ष्य, जिन्हें वैश्विक लक्ष्य भी कहा जाता है, वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2030 तक के 17 अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों को तय किया गया है। सतत् विकास लक्ष्यों का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय संतुलन स्थापित करना है। इसी तारतम्य में मध्यप्रदेश शासन द्वारा तैयार किया गया "विकसित मध्यप्रदेश@ 2047 दृष्टिपत्र" राज्य के दीर्घकालिक विकास की ठोस रूपरेखा प्रस्तुत करता है। "एसडीजी (सतत् विकास लक्ष्य) मूल्यांकन योजना विकसित मध्यप्रदेश और विकसित भारत के निर्माण के आधार में सहायक होगी। मंत्रि-परिषद द्वारा जिला चिकित्सालय टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर एवं डिण्डौरी में 800 बिस्तरों का उन्नयन और चिकित्सालयों के संचालन के लिए 810 नए पद की स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें 543 नियमित, 04 संविदा एवं आउटसोर्सिंग एजेन्सी के माध्यम से 263 पदों की स्वीकृति दी गयी हैं। पदों के सृजन पर वार्षिक व्यय 39 करोड़ 50 लाख रूपये की भी स्वीकृति दी गयी। स्वीकृति अनुसार जिला चिकित्सालय टीकमगढ़ में बिस्तर की संख्या 300 से बढ़ाकर 500, नीमच में 200 से बढ़ाकर 400, सिंगरौली में 200 से बढ़ाकर 400, श्योपुर में 200 से बढ़ाकर 300 और जिला चिकित्सालय डिंडौरी में बिस्तरों की संख्या 100 से बढ़ाकर 200 की गयी है। मालथौन कनिष्ठ खण्ड न्यायालय की स्थापना और नवीन पद की स्वीकृति ।

एनडीपीएस एक्ट में 2 फरार तस्कर को नई आबादी थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार...!

मंदसौर। पुलिस थाना नई आबादी को अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ एवं लंबे समय से फरार चल रहे तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। यह कार्यवाही पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार एवं पुलिस अधीक्षक मंदसौर श्री विनोद कुमार मीणा के मार्गदर्शन में की गई। अभियान को आगे बढ़ाते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री तेरसिंह बघेल तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्रसिंह भास्कर के निर्देशन में थाना प्रभारी नईआबादी उप निरीक्षक कुलदीप सिंह राठौर के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा वर्ष 2024 से फरार चल रहे दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया। थाना नई आबादी पर वर्ष 2024 में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 69/2024 धारा 8/18, 29 एनडीपीएस एक्ट में आरोपी 1 वर्ष से फरार चल रहे थे। दोनों पर पुलिस अधीक्षक द्वारा इनाम घोषित किया गया था। लगातार निगरानी संभावित ठिकानों पर दबिश एवं विश्वसनीय मुखबिर तंत्र सक्रिय किए जाने के बाद पुलिस को सफलता हाथ लगी। दिनांक 16 नवम्बर 25 को मुखबिर सूचना पर कार्रवाई करते हुए टीम ने दोनों आरोपियों को दबोच लिया।

गिरफ्तार आरोपी- अर्जुन पिता शिवप्रसाद सेन उम्र 27 वर्ष निवासी राम नगर थाना कुकडेश्वर जिला नीमच, राकेश पिता घनश्याम पोरवाल उम्र 44 वर्ष निवासी जैन गली कुकडेश्वर थाना कुकडेश्वर जिला नीमच

दोनों आरोपी प्रकरण में विगत एक वर्ष से फरार चल रहे थे।

इस कार्रवाई में उनि कुलदीप सिंह राठौर थाना प्रभारी नई आबादी तथा थाना नई आबादी पुलिस टीम का सराहनीय योगदान रहा। नई आबादी पुलिस की यह कार्रवाई अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

नीमच विकास की पाँच प्रमुख मांगों को लेकर कृति संस्था ने विधायक दिलीप सिंह परिहार को सौंपा ज्ञापन

नीमच। नगर की प्रमुख साहित्यिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था कृति द्वारा नीमच विधानसभा क्षेत्र के विधायक दिलीपसिंह परिहार को शहर एवं जिले के समग्र विकास से जुड़े पाँच महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करते हुए एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया। कृति संस्था के अध्यक्ष डॉ अक्षय राजपुरोहित सचिव कमलेश जायसवाल एवं प्रचार सचिव कृष्णा शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि कृति संस्था का एक प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को विधायक निवास पर पहुँचकर वर्षों से लंबित समस्याओं के समाधान हेतु शीघ्र कार्रवाई की मांग की।

1. चंबल जल प्रदाय योजना में नीमच शहर को शामिल करने की मांग

संस्था ने बताया कि नीमच वर्षों से पेयजल संकट और औद्योगिक जल आवश्यकता की समस्याओं से जूझ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में चंबल जल आपूर्ति योजना प्रगति पर है, परंतु नीमच शहर अभी भी इससे वंचित है। कृति संस्था विगत 16 वर्षों से चंबल के पानी की मांग करती आ रही है। संस्था ने अनुरोध किया कि भविष्य के जल संकट से बचाने हेतु नीमच शहर को भी इस योजना से जोड़ा जाए।

2. सी एम राइज स्कूल (सांदीपनि विद्यालय) हेतु भूमि चयन

साल 2017 में शुरू हुई इस महत्वपूर्ण शिक्षा योजना के अंतर्गत नीमच जिला के मनासा व जावद क्षेत्र में स्कूल भवन बनकर तैयार हो चुके हैं नीमच जिला मुख्यालय होने के बाद भी अब तक भूमि तय नहीं हो सकी है। संस्था ने हायर सेकेंडरी स्कूल क्रमांक–2 तथा सामने स्थित जीवाजी राव छात्रावास को सी एम राईज स्कूल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थल बताते हुए शीघ्र निर्माण की मांग की।

3. इंडोर–आउटडोर स्टेडियम निर्माण पर जोर

नीमच को "खेलों की नगरी" कहा जाता है, किंतु समुचित खेल संरचनाओं के अभाव के कारण खिलाड़ियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। डॉ राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम का ग्राउंड अत्यंत बुरी स्थिति में है, कई खेल कार्यक्रम दशहरा मैदान में संचालित करने पड़ते हैं। पांच वर्ष पूर्व नगर पालिका की परिषद ने सर्वानुमति से प्रस्ताव पास किया था और बंगला नंबर 60 को इंडोर–आउटडोर स्टेडियम के लिए चयनित किया गया था। संस्था ने इसके निर्माण कार्य की शुरुआत शीघ्र कराने की मांग रखी।

4. जिला अस्पताल का पुनर्निर्माण एवं स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार

400 बेड के नवीन अस्पताल की स्वीकृति पर संस्था ने विधायक का आभार व्यक्त किया, साथ ही बताया कि 90–100 वर्ष पुराना जिला चिकित्सालय भवन अब अत्यंत जर्जर हो चुका है। ज्ञापन में इसे डिस्मेंटल कर उसी स्थान पर बहुमंजिला आधुनिक जिला अस्पताल बनाने तथा स्टाफ क्वार्टर हेतु ग्वाल टोली क्षेत्र के पीछे को उपयुक्त बताते हुए प्रस्ताव रखा गया।

5. नगर पालिका क्षेत्र का विस्तार

2011 के मास्टर प्लान प्रस्तावित था, जो वर्तमान के 2035 मास्टर प्लान में शामिल है योजना में आसपास के 13 गांवों को नगर पालिका में शामिल करने का प्रस्ताव है। ऐसा होने पर नगरपालिका क्षेत्र 2964 एकड़ से बढ़कर 7352 एकड़ हो जाएगा, जिससे नगरपालिका की आय, आवासीय क्षेत्र एवं व्यापारिक विकास को बड़ा लाभ होगा। संस्था ने इस प्रस्ताव को अमल में लाने हेतु आवश्यक स्वीकृतियाँ शीघ्र जारी करने का आग्रह किया।

प्रतिनिधिमंडल में कृति संस्था के वरिष्ठ सदस्य किशोर जेवरिया, प्रकाश भट्ट, सत्येंद्र सिंह राठौड़, सत्येंद्र सक्सेना, रघुनंदन पाराशर, भरत जाजू सहित, डॉ पृथ्वी सिंह वर्मा , कमलेश जायसवाल सहित अनेक सदस्य उपस्थित थे। विधायक दिलीप सिंह परिहार ने कृति सदस्यों को इन सभी मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि शीघ्र इनके निराकरण का प्रयास करूंगा।

भारतीय मजदूर संघ ने कर्मचारियों की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर को सौपा ज्ञापन

नीमच। प्रदेश कार्यकारिणी के आव्हान पर मध्यप्रदेश में नियमित/संविदा/अंशकालिन/स्कीम वर्कर्स/आउटसोर्स श्रमिक/कर्मचारी/अधिकारी/पेशनर/आशा एवं उषा कार्यकर्ता/सफाई कर्मचारी की विभिन्न ओर जायज मांगो को लेकर भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले भारतीय मजदूर संघ जिला अध्यक्ष नितिन साहू के नेतृत्व में दोपहर 01 बजे कलेक्टर कार्यालय नीमच पहुंच कर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नाम डिप्टी कलेक्टर चंद्रसिंह धार्वे को एक ज्ञापन सौंप उपर दर्शाये सभी विभागों के कर्मचारियों की मांगों को जल्द से जल्द हल करने की मांग की !इस अवसर पर भारतीय मजदूर संघ जिला अध्यक्ष नितिन साहू, महामंत्री सुभाष कुमावत, पेंशनर संघ जिला अध्यक्ष शम्भू प्रसाद शर्मा, उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा, बिजली कर्मचारी महासंघ अध्यक्ष राजेन्द्र जैन, सह मिडिया प्रभारी चंद्रशेखर जायसवार, कोषाध्यक्ष राजेश पोरवाल, सफाई कर्मचारी मोर्चा जिला अध्यक्ष रोहित नरवाले, लोकेश खरे,एवं कई आशा उषा कार्यकर्ता महिला मातु शक्तियां व बड़ी संख्या में कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे !

आधुनिक युग मे किसानों के लिए डिजिटल सुरक्षा, तकनीक से सशक्त, सुरक्षा से सुरक्षित

साभार- विजया तिवारी- सीनियर सायबर एवं फोरेंसिक एक्सपर्ट

डिजिटल सशक्तिकरण और तकनीकी प्रगति के साथ भारत का कृषि क्षेत्र काफी बदल रहा है। डिजिटल इंडिया' ने हमारे किसानों को सशक्त बनाया है, और बढ़ती हुई तकनीक उन्हें मौसम की जानकारी, फसलों के मूल्य और खेती को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल उपकरण प्रदान कर रही है। लेकिन इन लाभों के साथ नई चुनौतियां भी आई हैं, और किसानों को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखना अपने आप में एक नई चुनौती है।

फिशिंग से सतर्क रहे :-

एसएमएस, ईमेल या वॉट्सऐप संदेशों में संदिग्ध लिंक पर कभी क्लिक न करें। अपनी व्यक्तिगत जानकारी, जैसे बैंक खाता नंबर या आधार नंबर, को संदेश या कॉल पर साझा करने से बचें। ऐप्स को अपडेट रखें. अपने मोबाइल ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा अपडेट रखें। अपडेटेड ऐप्स कमजोरियों को ठीक करते हैं और आपको हैकिंग के जोखिम से बचाते है। केवल आधिकारिक ऐप्स का उपयोग करें. सरकार द्वारा अनुशंसित ऐप्स जैसे mKisan और PM-Kisan को प्राथमिकता दें।

डिजिटल सुरक्षा अब कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है। जिस तरह आप अपनी फसलों की सुरक्षा करते हैं, उसी तरह अपने डेटा की भी सुरक्षा करें। डिजिटल सुरक्षा राष्ट्र की सबसे बड़ी प्राथमिकता है, और यह महत्वपूर्ण है कि किसान इन डिजिटल उपकरणों का सुरक्षित रूप से उपयोग करना और खुद को ऑनलाइन समस्याओं से बचाना सीखें।

किसानों के लिए डिजिटल सशक्तिकरण क्यों महत्वपूर्ण है? :-

डिजिटल सशक्तिकरण ने किसानों के जीवन को आसान और तकनीकी बना दिया है। किसानों की समग्र उत्पादकता बढ़ी है। उदाहरण के लिए, 'Farmonaut' जैसे ऐप का उपयोग करके किसान अपने खेतों को बेहतर ढंग से समझने के लिए सैटेलाइट इमेजेस प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, ऐसे कई ऐप हैं जो किसानों को मौसम की जानकारी, बाज़ार मूल्य और खेती के टिप्स जैसी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं सरकार भी इस डिजिटल बदलाव का समर्थन कर रही है। डिजिटल कृषि मिशन एक बड़ी योजना है, जिसमें 2,817 करोड़ का भारी निवेश किया गया है। सरकार का

मुख्य लक्ष्य एक ऐसा सिस्टम बनाना है जहाँ किसान आसानी से डिजिटल सेवाओं का उपयोग कर सकें। इन सेवाओं में एग्रीस्टैक और कृषि निर्णय सहायता प्रणाली शामिल हैं।

एग्रीस्टैक (AgriStack)

यह एक डिजिटल डेटाबेस है जो किसानों के रिकॉर्ड, गाँवों के नक्शों और फसल की जानकारी रखता है। कृषि निर्णय सहायता प्रणाली (Krishi Decision Support System) :- यह एक ऐसा उपकरण है जो डेटा का उपयोग करके किसानों की स्मार्ट निर्णय लेने में मदद करता है।

किसानों को डिजिटल रूप से सुरक्षित कैसे बनाएँ? :-

डिजिटल सेवाओं के लाभ उठाने के लिए, किसानों को इन सुरक्षा उपायों का पालन करना चाहिए: मज़बूत पासवर्ड का उपयोग करें. "123456" जैसे सामान्य पासवर्ड का उपयोग करने से बचें। पासवर्ड में अक्षर, संख्याएँ और विशेष वर्षों का संयोजन रखें ताकि इसे आसानी से हैक न किया जा सके।

सुरक्षित नेटवर्क का उपयोग करें :-

सार्वजनिक वाई-फाई से बचें, क्योंकि यह आपके डेटा को असुरक्षित बना सकता है। संवेदनशील लेनदेन के लिए मोबाइल डेटा या विश्वसनीय वाई-फाई का उपयोग करें।

साइबर अपराधों की रिपोर्ट करें :

यदि आपको साइबर धोखाधड़ी का संदेह हो, तो तुरंत स्थानीय साइबर अपराध सेल को रिपोर्ट करें पा cybercrime.gov.in पर जाएँ। सरकार को बेहतर इंटरनेट पहुँच, बेहतर कनेक्टिविटी और अधिक जागरूकता कार्यक्रमों पर ध्यान देने की आवश्यकता है जो किसानों तक पहुँच सकें। डिजिटल सुरक्षा राष्ट्र की सर्वोपरि प्राथमिकता है और यह भारतीय किसानों को आधुनिक तकनीक से लाभान्वित होने में मदद करेगी।

क्लाऊड कम्प्यूटिंग

डेटाबेस, सर्वर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग सहित प्रदान करने का एक माध्यम

क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटिंग सेवाएँ (डेटाबेस, सर्वर, सॉफ़्टवेयर और नेटवर्किंग सहित) प्रदान करने का एक माध्यम है, जिससे उपयोगकर्ता को उन प्रणालियों के प्रत्यक्ष प्रबंधन से बचने की सुविधा मिलती है। क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा और प्रोग्रामिंग को दूरस्थ रूप से संग्रहीत और एक्सेस करने का एक तरीका है जो आपके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव पर जानकारी संग्रहीत करने के बजाय इंटरनेट का उपयोग करता है। संक्षेप में, क्लाउड कंप्यूटिंग को डेवलपर्स और गैर-डेवलपर्स, दोनों के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसका अंतिम लक्ष्य क्लाउड और ऑन-प्रिमाइसेस डेटा को जोड़ना और साझा करना है। क्लाउड कंप्यूटिंग को मूल रूप से एक वितरण पद्धति के रूप में सोचें। अगर आपने ड्रॉपबॉक्स पर कोई फ़ोटो अपलोड की है या फ़ेसबुक पर किसी दोस्त के नए बच्चे पर प्रतिक्रिया दी है, तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग का अनुभव ले चुके हैं। ड्रॉपबॉक्स एक क्लाउड स्टोरेज सिस्टम है जो आपको फ़ाइलों को स्टोर करने की क्षमता बढ़ाने की सुविधा देता है। फ़ेसबुक उन पहली कंपनियों में से एक थी जिसने सैकड़ों या हज़ारों सर्वरों पर स्केलेबल डेटाबेस सिस्टम का आविष्कार किया: क्लाउड कंप्यूटिंग की दुनिया में एक बड़ा योगदान।

हालाँकि क्लाउड कंप्यूटिंग के बहुत ही बुनियादी संस्करण 1960 के दशक से ही मौजूद हैं, लेकिन अपने शुरुआती दौर से ही इसमें काफी प्रगति हुई है, और यह डेटा स्टोरेज का एक ऐसा संस्करण है जो हमेशा के लिए मौजूद रहेगा। फोर्ब्स के अनुसार, 2020 तक, लगभग 83% एंटरप्राइज़ वर्कलोड क्लाउड में मौजूद होंगे। और हो सकता है कि आपका व्यवसाय एक साथ इतना आगे न बढ़ पाए: हाइब्रिड क्लाउड इंटीग्रेशन भी कई कंपनियों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प है। नीचे दिए गए उन अवसरों पर विचार करें जो क्लाउड कंप्यूटिंग आपके व्यवसाय के लिए ला सकता है।

क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं के प्रकारों की व्याख्या

कंपनियों के सामने वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक डेटा की बढ़ती जटिलता है, जहाँ प्रबंधन के लिए डेटा की मात्रा हर दो साल में दोगुनी हो रही है । व्यावसायिक नेताओं को नए डेटा स्रोतों (क्लाउड, SaaS, असंरचित डेटा) को एकीकृत करने के साथ-साथ पुराने डेटा (ERP, ऑन-प्रिमाइसेस डेटा वेयरहाउस) को नए डेटा गंतव्यों (डेटा लेक, क्लाउड डेटा वेयरहाउस) में रूट करने के बारे में निर्णय लेने होंगे। बेहतरीन डेटा प्रबंधन के साथ बड़ी ज़िम्मेदारी भी आती है। निर्णय लेने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आपको कुछ बुनियादी सेवाओं को समझना होगा:

सेवा के रूप में बुनियादी ढांचा (IaaS)

IaaS, क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल में क्लाउड समाधान का सबसे बुनियादी स्तर है। IaaS मॉडल में, एक क्लाउड प्रदाता (ऑन-प्रिमाइसेस डेटा सेंटर के बजाय) सर्वर और नेटवर्किंग हार्डवेयर जैसे बुनियादी ढाँचे के घटकों को होस्ट करता है। यह उन कंपनियों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो नए सिरे से एप्लिकेशन बनाना चाहती हैं और उन पर अधिक नियंत्रण रखना चाहती हैं; हालाँकि, इसके सफल क्रियान्वयन के लिए आंतरिक तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है।

सेवा के रूप में प्लेटफ़ॉर्म (PaaS)

PaaS, IaaS का अगला चरण है। PaaS के साथ, बुनियादी ढाँचे के अलावा, प्रदाता एप्लिकेशन बनाने के लिए आवश्यक सॉफ़्टवेयर और उपकरण भी प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस, प्रोग्रामिंग भाषाएँ और डेटाबेस प्रबंधन शामिल हो सकते हैं।

सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर (SaaS)

SaaS मॉडल में, प्रदाता उपयोगकर्ताओं के लिए बुनियादी ढाँचे और एप्लिकेशन होस्ट और प्रबंधित करते हैं। SaaS में, उपयोगकर्ता को कुछ भी इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि सॉफ़्टवेयर क्लाउड में होस्ट किया जाता है। खरीदार के पास सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करने, जैसे अधिकृत उपयोगकर्ताओं को नामित करना या अनुकूलित डैशबोर्ड बनाने, आदि पर कुछ नियंत्रण होता है।

क्लाउड कंप्यूटिंग के 5 लाभ

क्लाउड कंप्यूटिंग व्यावसायिक नेताओं और अंतिम उपयोगकर्ताओं, दोनों के लिए संचालन को सुव्यवस्थित करने के कई अवसर प्रदान करती है। इन लाभों के पाँच उदाहरण यहां दिए गए हैं:

प्रति उपयोग भुगतान: सॉफ़्टवेयर पायरेसी लंबे समय से डेवलपर्स के लिए चिंता का विषय रही है क्योंकि इससे अनधिकृत उत्पाद उपयोग के माध्यम से राजस्व हानि होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ, संसाधनों को प्रति उपयोग के आधार पर मापा जाता है, जिससे पायरेसी के जोखिम और कंपनी की लागत दोनों कम हो जाती है।

लचीलापन: क्लाउड कंप्यूटिंग ने एप्लिकेशन के लचीलेपन के तरीके को नाटकीय रूप से बदल दिया है। जहाँ पहले, उपकरण की खराबी या बिजली गुल होने से बड़ी रुकावट पैदा हो सकती थी, वहीं अब क्लाउड कंप्यूटिंग की प्रगति का मतलब है कि कोई सर्वर, नेटवर्क या पूरा डेटा सेंटर ऐसी किसी भी घटना से जल्दी उबरकर काम करना जारी रख सकता है।

लोचशीलता: हालाँकि बुनियादी ढाँचे को बढ़ाने के अवसर हो सकते हैं (जैसे, एक ऐसा एप्लिकेशन जिसे एक बार के मार्केटिंग अभियान के बाद हज़ारों उपयोगकर्ताओं के लिए स्थापित किया जाना चाहिए), अगर आप ज़रूरत पड़ने पर उसे कम नहीं कर सकते, तो वे संसाधन बेकार पड़े रहेंगे, जिससे आपको बहुमूल्य डॉलर का नुकसान होगा। लोचशीलता अपनी इस क्षमता में अद्वितीय है कि इसे आसानी से बढ़ाया और घटाया जा सकता है।

स्व-सेवा (या स्वचालित) प्रावधान: यह डेवलपर्स और तकनीक-प्रेमी उपयोगकर्ताओं को किसी समर्पित आईटी टीम के इनपुट की आवश्यकता के बिना किसी सेवा या एप्लिकेशन के सेटअप या लॉन्च पर नियंत्रण रखने की अनुमति देता है। इसका अर्थ है आंतरिक और ग्राहक-उन्मुख दोनों प्रकार के संसाधन बनाते समय अधिक स्वचालन, गति और पूर्वानुमानशीलता, साथ ही कम लागत।

माइग्रेशन लचीलापन: यद्यपि आपकी कंपनी के सभी डेटा, एप्लिकेशन और बुनियादी ढांचे को क्लाउड पर स्थानांतरित करने के प्रारंभिक चरण जटिल हैं और इसमें कुछ समय लगता है, लेकिन एक बार जब आप वहां पहुंच जाते हैं, तो जिस आसानी से डेटा को क्लाउड से और क्लाउड पर स्थानांतरित किया जा सकता है, वह लागत बचत और नई और उभरती सेवाओं का अधिक आसानी से उपयोग करने की क्षमता के रूप में लाभदायक होगा।

क्लाउड कंप्यूटिंग के फायदे और नुकसान

क्लाउड कंप्यूटिंग के इन अधिक तकनीकी लाभों के अतिरिक्त, इस तकनीक को अपनाने के लिए व्यापक कारण भी हैं, तथा साथ ही, आपकी कंपनी के संसाधनों को पूरी तरह से समर्पित करने से पहले कुछ बातों पर भी ध्यान देना होगा।

क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ

फ़ाइलें साझा करने में आसानी। वैश्विक युग में, जहां यह लगभग निश्चित है कि टीम के सदस्य अलग-अलग राज्यों या देशों में तैनात हैं, स्थान की परवाह किए बिना फ़ाइलों को आसानी से साझा और संपादित किया जा सकता है, यह एक बहुत बड़ा लाभ है। व्यवसायों के लिए लागत बचत की संभावना। जब आपके डेटा, एप्लिकेशन या सर्वर को बढ़ावा देने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हार्डवेयर निवेश की आवश्यकता होती है, तो एक पारंपरिक इन-हाउस समाधान अधिक लागत पर आता है। क्लाउड द्वारा प्रदान की जाने वाली स्केलेबिलिटी के साथ, यदि आपके डेटा को स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है, तो क्लाउड आपके साथ स्थानांतरित हो जाता है, जिससे आपको या आपकी कंपनी को बचत होती है।

तेज़ सॉफ़्टवेयर अपग्रेड। चाहे आप कॉर्पोरेट सेल्स के प्रमुख हों या अपने उभरते स्टार्टअप के सीईओ, एक उत्पादक कार्यदिवस की शुरुआत में घंटों लगने वाले सॉफ़्टवेयर अपडेट से ज़्यादा कुछ भी बाधा नहीं डाल सकता। क्लाउड-आधारित एप्लिकेशन का भी एक समाधान है: वे अपने आप रिफ्रेश और अपडेट हो जाते हैं जिससे डाउनटाइम कम से कम हो जाता है।

क्लाउड कंप्यूटिंग के नुकसान

कर्मचारी सीखने की अवस्था। आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप सही कौशल वाले कर्मचारियों को नियुक्त कर रहे हैं। 2016 के एक अध्ययन में, क्लाउड फाउंड्री ने नियोक्ताओं के लिए सफल क्लाउड कर्मचारियों की खोज और उन्हें बनाए रखने के दौरान विचार करने योग्य तीन प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की , जिनमें शामिल हैं: डेवलपर्स की व्यापक कमी प्रतिभाओं को शामिल करने के लिए वास्तविक खतरा बन गई है। विशिष्ट प्रौद्योगिकी कौशल की मांग बढ़ रही है।

वर्तमान कर्मचारियों का निरंतर प्रशिक्षण इस कौशल की कमी का सबसे अच्छा समाधान है। प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखने में नाकामी। उदाहरण के लिए, SaaS ऐप्लिकेशन का इस्तेमाल करने का मतलब हो सकता है कि आप प्रतिस्पर्धियों के समान ही ऐप्लिकेशन इस्तेमाल करें, जिससे अगर वह ऐप्लिकेशन आपकी व्यावसायिक रणनीति के केंद्र में है, तो उससे आगे निकलना मुश्किल हो जाएगा। डेटा की हानि। हार्डवेयर न खरीदने से कुल लागत कम हो जाती है, लेकिन इससे डेटा खोने का जोखिम भी बढ़ जाता है (और यह हानि हमेशा दुर्भावनापूर्ण नहीं हो सकती) क्योंकि स्टोरेज साइट से बाहर होता है। ग्राहक डेटा का स्थायी नुकसान आकस्मिक विलोपन या प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी हो सकता है। और प्रदाता की ओर से गलत प्रबंधन ही डेटा हानि का एकमात्र कारण नहीं है।

जावद और अठाना में प्रशासन की कार्यवाही तीन मैग्जिन गोदाम सील

नीमच । कलेक्टर हिमांशु चंद्रा, एवं एसपी अंकित जायसवाल, के निर्देशानुसार एसडीएम जावद प्रीति संघवी नाहर, एसडीओपी जावद रोहित राठौड, तहसीलदार ने नवीन गर्ग,एवं थाना प्रभारी जितेन्द्र वर्मा,, राजस्व टीम ने गुरुवार को शिखर इन्टरप्राईजेस (मेसर्स दिलीप पिता बंशीलाल बाहेती) की बावड़ी चौक कनेरा रोड ट्रेचिंग ग्राउण्ड के पास टोटा रखने के गोदाम का निरीक्षण किया गया। मौके पर स्टॉक रजिस्टर एवं गोडाउन में उपलब्ध विस्फोटक सामग्री का मिलान किया गया। एसडीएम जावद प्रीति संघवी नाहर ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन एवं पुलिस की टीम ने गुरुवार को किए इस निरीक्षण में पाया कि लाईसेंस क्र. E/4Q/MP/21/220 (E 35278) की रजिस्टर में 395 Box X 25 kg दर्ज पाये गये, मौके पर स्टॉक का मिलान किया गया। उक्त गोडाउन के बाहर पानी, रेती कि बाल्टी व आग बुझाने संबंधित उपकरण उपलब्ध नहीं होना पाए गए और सूचना प्रदर्शित करने वाले बोर्ड भी नहीं पाया गया । इसी प्रकार लाईसेंस नं.E/4Q/MP/21/221 (E 35283) के रजिस्टर में Box X OD X 1000 नग की रजिस्टर में व एक खुला Rajdet 134 नग दर्ज पाये गये जिनका मिलान किया गया। उक्त गोडाउन के बाहर दरवाजा (टूटा हुआ) बाहर पानी, रेत कि बाल्टी आदि सुरक्षा उपकरण नहीं पाये गये,। टीम द्वारा लाईसेंस नंबर E/4Q/MP/21/347 (E 70916) की रजिस्टर में 80 बोक्स (खुला बोक्स) x25 kg दर्ज पाये गये। मौके पर स्टॉक का मिलान किया गया। उक्त गोडाउन के बाहर भी सूचना बोर्ड पानी की व्यवस्था, रेत की बाल्टी व अन्य सुरक्षा उपकरण भी नहीं पाये गये। एसडीएम जावद ने बताया कि उक्त तीनों गोडाउन एक ही परिसर में स्थित हैं। उक्त परिसर के बाहर आवश्यक प्रकाश व्यवस्था व सीसीटीवी भी उपलब्ध नहीं पाए गए है। पूर्व सूचना उपरांत भी कोई भी जवाबदार व्यक्ति लाईसेंसधारी व्यक्ति की ओर से उपस्थित नहीं हुआ। मौके पर रविन्द्रसिंह पिता राजेन्द्र सिंह निवासी दलेल सिंह जी का खेड़ा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा राजस्थान हामु बिचली गली जावद उपस्थित हुए। उक्त कार्यवाही पश्चात् किसी भी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज एवं स्टॉक पंजी की अद्यतन स्थिति प्रस्तुत नहीं करने पर तीनों मैग्जिन गोडाउन मे विस्फोटक अधिनियमों की गाईडलाईन का पालन नहीं किये जाने से अस्थाई रूप से इन मैग्जिन गोडाउन को सील किया गया है।

जाट मे श्री तेजाजी महाराज के छः दिवसीय खेल का हुआ समापन

रिपोर्ट- सत्यनारायण सुथार

जाट। ग्राम जाट (यशनगर) में तेजपाल नाट्य कला मंडल जाट द्वारा आयोजित लोक देवता श्री वीर तेजाजी महाराज के खेल का हुआ समापन। खेल के छह दिवसीय कार्यक्रम में ग्राम व जाट क्षेत्र के सभी धर्म प्रेमी बंधुओं ने भाग लिया। छः दिवसीय खेल कार्यक्रम में उमड़ा जन सैलाब । खेल के समापन में पधारे ग्राम के वरिष्ठ समाजसेवी रामपाल जी पाराशर व गोपाल दास जी बैरागी का समिति के सक्रिय सदस्य व सेवक शंभू लाल जी मेवाड़ा व शंकर लाल जी गुर्जर द्वारा कुमकुम तिलक, पुष्पमाला पहना कर व साफा बंधा कर स्वागत किया गया। अतिथियों द्वारा खेल के सभी कलाकारों को पुरस्कार स्वरूप राशि भेंट कर सम्मानित किया गया । इसी दौरान समिति प्रबंधक शंभू लाल सोलंकी द्वारा अपने उद्बोधन में कहा कि यह वर्ष इस खेल का 15 वर्ष है । मैं सभी ग्राम वासियों और क्षेत्र वासियों का धन्यवाद व्यापित करता हूं की आप सभी की मेहनत और सहयोग से आज हम यह 15 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं । और आप ही के कारण इस छोटे से गांव में यह संस्कृति अभी भी जिंदा है । समिति के सभी सदस्यों की मेहनत और आपके तन मन धन के सहयोग से ही इस धार्मिक कार्यक्रम वर्षों से होते आ रहे हैं और आगे भी आपके सहयोग से होते रहेंगे । मैं सभी ग्राम वासियों और समिति के सभी सदस्यों का हृदय से आभार और धन्यवाद व्यापित करता हूं। पूरे कार्यक्रम में मंच का संचालन गिरीश सोनी द्वारा किया गया। श्री तेजाजी महाराज के खेल में राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा तेजाजी के जीवन में आए संघर्ष और अपने वचन को पूरा करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया लेकिन दिए हुए वचन को पूरा किया। और किन परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई। उनकी पूरी जीवन कथा का नाट्य रूपांतरण करके दिखाया गया जिसमें ग्राम के जाट क्षेत्र के सभी धर्म प्रेमियों ने भाग लिया मध्य रात्रि के दौरान श्री तेजाजी महाराज की झंडी को सभी ग्राम वासियों ने ढोल के साथ व तेजाजी महाराज व बाशक देव के जयकारे लगाते हुए भटवाड़ा मोहल्ला तेजाजी मंदिर पर ले जाया गया जहां पर पूजा आरती कर वह महाप्रसाद वितरण कर खेल का समापन किया गया ।

कलेक्टर चंद्रा ने की जनसुनवाई 56 आवेदकों की समस्याएं सुनी

नीमच। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने मंगलवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष नीमच में जनसुनवाई करते हुए 56 आवेदकों की सुनी समस्याएं और उनका निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इस मौके पर जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैष्णव, एसडीएम श्री संजीव साहू, डिप्टी कलेक्टर श्री चंद्रसिह धार्वे एवं श्री पराग जैन तथा अन्य जिला अधिकारी उपस्थित थे। जनसुनवाई में रामपुरा के महेश कुमार, सरवानिया महाराज के मो.गुलाम नबी, हनुमंतिया के शौकिन, ग्वालटोली नीमच के घनश्याम, मोडी के कारूलाल, नयागांव की आरती, खडावदा के बलदेव सिह,मैनालखेडा के रमेशचंद्र, भगवानपुरा की इलिजाबेश जडसन, भरभडिया की खुशी, बघाना के विष्णु कुमार, धनेरियाकलां की नागवंतीबाई, देवरी खवासा की कान्ताबाई, सरवानिया महाराज की रामकन्याबाई, ने भी अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए।इसी प्रकार सिंगोली के यज्ञनारायण, मोडी के रामप्रसाद, नीमच की सुमित्रा बाई, चिताखेडा की चंदाबाई, गिरदौडा के भारत, केसरपुरा के हरिओम, सरवानिया महाराज के भेरूलाल, नीमच के जितेन्द्र परिहार, पिपलोन के शंकरलाल, पालसोडा के शिवनारायण, तारापुर की कुसुम, नवलपुरा के कन्हैयालाल आदि ने अपनी समस्याओं के आवेदन जनसुनवाई में प्रस्तुत किए।

नीमच में न्यायोत्सव विधिक सेवा सप्ताह का हुआ समापन

नीमच। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार 9 से 14 नवंबर 2025 तक संचालित विशेष न्यायोत्सव विधिक सेवा सप्ताह के अंतिम दिवस 14 नवंबर 2025 को नवीन जिला न्यायालय परिसर, नीमच में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सिंह राजपूत द्वारा विधिक सेवा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह रैली पुलिस विभाग एवं केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल के जवानों, पैरा-लीगल वॉलिंटियर्स तथा महाविद्यालयीन विद्यार्थियों की सहभागिता से सम्पन्न हुई। रैली का उद्देश्य जन-सामान्य में विधिक सेवाओं एवं विधिक अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना था। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होकर पुनः नवीन जिला न्यायालय परिसर में संपन्न हुई। रैली के बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, द्वारा विभिन्न विभागों के सहयोग से विधिक सेवा प्रदर्शनी आयोजित की गई। प्रदर्शनी में महिला एवं बाल विकास विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, सामाजिक न्याय विभागों ने विभिन्न कानूनी विषयों पर आम जनों को पम्पलेट, ब्रोशर एवं बैनर्स के माध्यम से जानकारी दी। इस अवसर पर न्यायालय परिसर में न्यायोत्सव सप्ताह तहत आयोजित चित्रकला, निबंध एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं में विजेता विद्यार्थियों को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री वीरेंद्र सिंह राजपूत द्वारा प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार वितरित किए गए। समापन समारोह में बाल आश्रय गृह किलकारी, जन शौर्य संस्था तथा संजीवनी कॉलेज के विद्यार्थियों ने नशा-विरोधी, मोबाईल की लत, तथा कानूनी जागरूकता से संबंधित नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए। साथ ही रेडक्रॉस, मूक बधिर विद्यालय की छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक नृत्य की प्रस्तुति दी। समापन समारोह में प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय डॉ. कुलदीप जैन, विशेष न्यायाधीश श्री आलोक कुमार सक्सेना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नवल सिंह सिसोदिया, सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर डिप्टी कमांडेंट श्री देवेंद्र, तथा डिप्टी कलेक्टर श्री पराग जैन सहित सभी सभी न्यायाधीशगण एवं अधिकारी-कर्मचारी, पैरा लीगल वॉलिंटियर्स तथा आमजन उपस्थित थे।कार्यक्रम के अंत मेंजिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच की सचिव श्रीमती शोभना मीणा ने आभार व्यक्त किया । कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री प्रवीण कुमार एवं पैरा-लीगल वॉलंटियर सुश्री देवयानी शर्मा ने किया।

दुग्ध समृद्धि अभियान के तहत कंजार्डा में पशुपालकों की संगोष्ठी सम्पन्न

नीमच। दूध उत्पादन से पशुपालकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से नीमच जिले में कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देशन व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अमन वैष्णव के मार्गदर्शन में पशुओं की नस्ल सुधार, पशु स्वास्थ्य तथा पशु पोषण पर विशेष प्रयास किये जा रहे है, इसी कड़ी में वृन्दावन ग्राम कंजार्डा में शुक्रवार को पशुपालकों की संगोष्ठी आयोजित की गई। इस अवसर पर जिले के उपसंचालक पशुपालन डॉ.राजेश पाटीदार ने कहा, कि हमें पशु पालन को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए परम्परागत पशुपालन से व्यावसायिक पशु पालन की ओर बढ़ना होगा। इस हेतु नस्ल सुधार, अच्छी नस्लों का चयन, उन्नत वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान, बछिया पैदा करने वाले वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान करवाए और समय समय पर टीकाकरण करवाये।

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना - जिले में 1025 उपभोक्ता अपने घरों पर सोलर रूफटाप संयंत्र स्थापित कर सूरज की किरणों से उत्पादित कर रहे है बिजली

नीमच। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत नीमच जिले में अब तक 2685 उपभोक्ताओं ने अपने घरों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया है। इनमें से 1025 उपभोक्ताओं के घरों की छतों पर सौलर रूफटाप संयंत्र (सौलर पैनल) लगाए गये है। शेष के घरों पर सौलर पेनल लगाने का कार्य प्रगति पर है। इन 1025 उपभोक्ताओं द्वारा सूरज की किरणों से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। जिले में स्थापित 1025 सौर ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता 3.8 मेगावाट है। इन संयंत्रों की स्थापना पर शासन द्वारा 7.9 करोड़ की अनुदान राशि संबंधित उपभोक्ताओं के खाते में प्रदान की गई है। सौर ऊर्जा संयंत्र(सोलर रूपटाप) स्थापित कर चुके 1025 उपभोक्ताओं की विद्युत खपत की तुलना में उत्पादित सोलर बिजली यूनिट अधिक रही है। खपत एवं उत्पादित बिजली यूनिट की अंतर की यूनिट शासन द्वारा निर्धारित दर पर उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों में समायोजित की जा रही है।म.प्र.प.क्षे.वि.वितरण कंपनी के कार्यपालन यंत्री श्री ओपी सेन ने बताया, कि नीमच शहर में शांतिनगर नीमच की सुश्री लता चोरसिया, कृष्णा नगर नीमच की सुश्री माया काठौड़ने तीन-तीन किलोवाट, ब.नं.46 के अनिल कुमार गोयल ने 5 किलोवाट, विकास नगर नीमच के राधेश्याम धाकड़ ने तीन किलोवाट, चूड़ी गली के जितेन्द्र यति ने तीन किलोवाट, त्रिमूर्ती नगर के पवन कुमार के पांच- पांच किलोवाट के दो सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करवाएं है।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक अविनाश जाजपुरा के द्वारा यश प्रिंटिंग प्रेस स्कीम नम्बर 36 ए कलेक्टर कार्यालय के सामने मुद्रित एवं कास्मो स्कूल के पास इन्दिरा नगर नीमच से प्रकाशित - सम्पर्क 9893796737 (सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र नीमच रहेगा ।)